आन्ध्रा बैंक
Andhra Bank

असाधारण आम बैठक

सोमवार, 05.03.2012 को प्रात: 10.30 बजे
शिल्प कला वेदिका, शिल्पारामम,
क्राफ्ट्स विलेज, हाईटेक सिटी के पास,
मादापुर, हैदराबाद – 500 081

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

on

Monday, 05.03.2012 at 10.30 AM
at Shilpakala Vedika, Shilparamam, Crafts Village,
Near Hi-Tech City, Madhapur, Hyderabad - 500 081

प्रधान कार्यालय : डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004.
Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.

आन्ध्रा बैंक
Andhra Bank

विषय सूची
CONTENTS

पृष्ठ संख्या
Page No.

सूचना 2
NOTICE 2

सूचना से संबंधित टिप्पणियाँ 3
NOTES TO NOTICE 3

घोषणा 11
DECLARATION 12

नामांकन फार्म 13
NOMINATION FORM 14

व्यक्तिगत सूचना, घोषणा पत्र एवं वचन पत्र 15
PERSONAL INFORMATION, DECLARATION & UNDERTAKING 16

उपस्थिति पर्ची, प्रवेश पास, बैलट पेपर पास 23
ATTENDANCE SLIP, ENTRY PASS, BALLOT PAPER PASS 24

प्रॉक्सी फार्म 25
PROXY FORM 26

अधिनियमों, योजना तथा विनियमों इत्यादि के उद्धरण 27
EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS ETC. 27

प्रधान कार्यालय, डॉ.पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004.

शेयरधारक एवं निदेशक शिकायत कक्ष : डॉ.पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004.

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट : मेसर्स एमसीएस लिमिटेड, काशीराम जमनादास बिल्डिंग, ऑफिस संख्या 21/22, भूतल 5, पी डीमेलो रोड, घड़ियाल गोदी, मुम्बई – 400 009.

Head Office : Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.

Share Holders & Investor Grievances Cell : Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.

Registrar & Share Transfer Agents : M/s. MCS Limited, Kashiram Jamnadas Bldg, Office No. 21/22, Ground Floor 5, P.D'Mello Road, Ghadiyal Godi, Mumbai - 400 009.

आन्ध्रा बैंक

शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय :
डॉ पट्टाभि भवन,5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद 500004 आं.प्र.

सूचना

आन्ध्रा बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 2003 के विनियम 57 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित व्यापार हेतु आन्ध्रा बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक **सोमवार, 5 मार्च 2012** को प्रात: 10.30 बजे शिल्पकला वेदिका, शिल्पारामम, क्राफ्ट्स विलेज, हाईटेक सिटी के पास, मादापुर, हैदराबाद- 500 081 में आयोजित की जाएगी:

केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों से **तीन** निदेशकों को चुनने के लिए, जिनसे निर्धारित अनुसार वैध नामांकन प्राप्त हुआ है, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 (अब से "विनियम अधिनियम" कहा जाएगा), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना, 1980 (अब से "योजना" कहा जाएगा) और आन्ध्रा बैंक (शेयर एवं बैठक्) विनियम, 2003 (अब से "विनियम" कहा जाएगा) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9(3)(i) (अब से "अधिनियम" कहा जाएगा) और भारतीय रिज़र्व बैंक के दि. 23.05.2011 की सं. डी बीओडी.बीसी.नं.95/29.39.001/2010-11 के साथ पठित अधिसूचना नं. डीबीओडी नं.बीसी.नं.46 तथा 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 (अब से "अधिसूचना" कहा जाएगा) के अनुसार चुने गए निदेशकों की रिक्तियों को भरने के लिए, जिनका कार्यकाल 13 मार्च, 2012 को समाप्त हो रहा है, और निम्नलिखित संकल्प पारित करने के लिए-

संकल्प किया जाता है कि संबंधित योजना, इसके अंतर्गत बनाए विनियम और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3) (i) के अनुसरण में केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से चयनित तीन निदेशकों को एतदद्वारा बैंक के निदेशकों के रूप में नियुक्त हो और किया जाए और वे 14 मार्च 2012, जो वर्तमान शेयरधारक निदेशकों की सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद की तारीख है, से कार्यभार ग्रहण करेंगे और निदेशकों के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति तक सेवा में रहेंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते आन्ध्रा बैंक

(टी.आर. रामभद्रन)
उप महाप्रबंधक एवं
कंपनी सचिव

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 02.02.2012

Andhra Bank

Shareholder's & Investor Greivances cell, Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004, A.P.

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 57 of the Andhra Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2003 that an EXTRAORDINARY GENERAL MEETING of the SHAREHOLDERS of ANDHRA BANK will be held on **Monday, 5th March 2012** at 10.30 A.M. at Shilpakala Vedika, Shilparamam, Crafts Village, Near Hi-Tech City, Madhapur, Hyderabad – 500 081, to transact the following business:

To elect **THREE** Directors from amongst shareholders of the Bank other than Central Government, in respect of whom valid nominations as prescribed have been received, in terms of Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as the "Act") read with The Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as the "the Regulation Act"), The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as the "Scheme") and Andhra Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2003 (hereinafter referred to as the "Regulations") and Notification No. DBOD. No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011, of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as 'RBI Notification') to fill the vacancies in the office of the elected Directors, whose terms of office expires on 13th March, 2012 and to pass the following resolution:

"**RESOLVED THAT** three Directors elected from amongst shareholders, other than Central Government, pursuant to Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with relevant Scheme, Regulations made thereunder and RBI notification, be and are hereby appointed as the Directors of the Bank and that they shall assume office from 14th March , 2012 being the date subsequent to the date when the present Shareholder Directors retire and hold office until the completion of a period of three years from the date of their assumption of office as Directors."

By order of the Board of Directors
for ANDHRA BANK

(T.R. RAMABHADRAN)
DY. GENERAL MANAGER &
COMPANY SECRETARY

Place: Hyderabad

Dated: 02.02.2012

नोट:

1. **व्याख्यात्मक विवरण**

बैठक में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारित करने वाला वर्णनात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

2. **वोट देने का अधिकार**

अधिनियम के खंड 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार (केंद्र सरकार के अतिरिक्त) सम अनुरूपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने द्वारा रखे गए किन्हीं शेयरों के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के एक प्रतिशत से अधिक हो तो वोट देने के अधिकार का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा ।

उक्त के होते हुए, विनियम 68 के अनुसार **अंतिम (रिकार्ड) तिथि याने शुक्रवार, 3 फरवरी, 2012** को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक के पास एक वोट होगी तथा चुनाव की स्थिति में उसके प्रत्येक शेयर हेतु एक वोट होगी।

विनियमों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम होंगे, रजिस्टर में प्रथम व्यक्ति को, वोटिंग के संबंध में, उसका एकमात्र धारक माना जाएगा। अत: यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम होंगे, **तो केवल प्रथम व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने हेतु पात्र होगा तथा केवल वही बैठक में वोट करने, चुनाव तथा नामांकन हेतु पात्र हैं।**

3. **अंतिम (रिकार्ड) तिथि**

विनियमों के विनियम 12 के अनुसरण में चुनाव में भाग लेने हेतु शेयरधारकों के नाम के निर्धारण के उद्देश्य से **अंतिम तिथि शुक्रवार, 3 फरवरी 2012** है याने सूचना में वर्णित अनुसार केंद्रीय सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन निदेशकों के चुनाव हेतु वोट देने तथा नामांकन हेतु अंतिम तिथि।

4. **प्राक्सी की नियुक्ति**

शेयरधारक को बैठक में उपस्थित होने और वोट देने के लिए किसी प्राक्सी को नियुक्त करने का हक है और प्राक्सी बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

तथापि, इस प्रकार नियुक्त प्राक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

आन्ध्रा बैंक के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी को प्राक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

विनियम 70(vi) के अनुसार, प्राक्सी के प्रलेख के प्रदाता को ऐसे प्रलेख से संबंधित बैठक में व्यक्तिगत रूप से वोट देने की पात्रता नहीं होगी।

प्राक्सी की नियुक्ति के संबंध में पत्र, बैंक के प्रधान कार्यालय में उप महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव, शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत कक्ष, डॉ.पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद 500 004 आं.प्र. में असाधारण आम बैठक से कम से कम **चार दिन** पहले याने **बुधवार 29 फरवरी, 2012** को बैंक के कार्य समय समाप्त होने याने सायं 5.00 बजे से पहले प्राप्त होना चाहिए।

5. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

कोई भी व्यक्ति आन्ध्रा बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक भाग लेने के लिए पात्र नहीं हो सकता या वोट नहीं दे सकता जब तक कि उसे किसी कंपनी के निगम या निकाय जो बैंक के शेयरधारक हो, के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए पारित संकल्प की प्रति, जोकि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित है जिसमें प्रतिनिधि की

NOTES:

1. **EXPLANATORY STATEMENT**

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. **VOTING RIGHTS**

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of one per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Cut off (Record) date, i.e. Friday, 3rd February, 2012,** shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then **first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote in the meeting**.

3. **CUT OFF (RECORD) DATE**

Pursuant to Regulation 12 of the Regulations, **Friday, 3rd February, 2012 is the Cut Off (Record) date** for the purpose of determining the names of shareholders entitled to participate in the election i.e. to nominate, contest and vote for the election of Three Directors representing the shareholders of the Bank other than the Central Government as mentioned in the notice.

4. **APPOINTMENT OF PROXY**

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the meeting.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Andhra Bank.

As per Regulation 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The Proxy form, in order to be effective, must be received at the Head Office of the Bank addressed to the Deputy General Manager & Company Secretary, Shareholders & Investor Grievances Cell, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad 500004, A.P., not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting. i.e., on or before the closing hours i.e., 5.00 p.m. of the Bank on **Wednesday, 29th February, 2012.**

5. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE**

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank,

नियुक्ति का संकल्प पारित है, बैंक के प्रधान कार्यालय में उप महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव, शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत कक्ष, डॉ.पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद 500 004 आं.प्र. में असाधारण आम बैठक की तारीख से कम से कम **चार दिन** पहले याने **बुधवार 29 फरवरी, 2012** को बैंक के कार्य समय समाप्त होने याने सायं 5.00 बजे से पहले प्राप्त होनी चाहिए।

6. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश कार्ड सह बैलट पेपर

शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश कार्ड सह बैलट पेपर इस सूचना के साथ संलग्न है। शेयरधारक/ प्राक्सीधारक/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे पर्ची में निर्धारित जगह में अपने हस्ताक्षर करें और बैठक के स्थान पर उन्हें दे दें। प्राक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधियों को उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास में "प्राक्सी" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि", जैसा भी मामला हो, अंकित करना है।

बैलट-पेपर का भाग चुनाव के समय बैलट - पेपर प्राप्त करने हेतु सौंप दिया जाएगा।

व्याख्यात्मक विवरण

तीन शेयरधारक निदेशकों का चुनाव

निदेशकों का चुनाव करने हेतु शेयरधारकों का अधिकार

बैंक ने 6 मार्च 2009 को संपन्न असाधारण आम बैठक में चुनाव किया तथा शेयरधारक निदेशक के रूप में श्री प्रेम प्रकाश पारीख, श्री वी.एच.रामकृष्णन तथा श्री के.रघुरामन का चुनाव किया। उन्होंने आन्ध्रा बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 2003 के विनियम 66(iii) के अनुरूप 14 मार्च, 2009 को 3 वर्ष हेतु कार्यभार ग्रहण किया। उनकी कार्यावधि 13 मार्च, 2012 को समाप्त होती है।

बैंक में जनता का शेयरधारण 41.9958% है और अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अनुसार, बैंक को केंद्रीय सरकार के अलावा शेयरधारकों में से तीन निदेशक चुनने हैं।

14 मार्च 2012 को उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने और बैंक के निदेशक मंडल के पुनर्गठन के उद्देश्य से बैंक ने विनियमों के अनुसरण में बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक आयोजित कर केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से तीन निदेशकों का चुनाव करने का निर्णय लिया है। शेयरधारक (केंद्र सरकार के अलावा) संबंधित अधिनियम, विनियम तथा भारिबैं की अधिसूचना जिनके संबंधित भाग निम्न प्रस्तुत हैं, में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अपने नामांकन भेजने हेतु पात्र हैं।

इस प्रकार चुने गए निदेशक 14 मार्च 2012 को, जो वर्तमान निदेशक की कार्यावधि की समाप्ति के बाद की तारीख है, कार्यभार ग्रहण करेंगे और कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि हेतु सेवा में रहेंगे।

कानूनी प्रावधान

निम्न सारणी इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियम/ योजना / विनियम/ अधिसूचनाओं में निहित प्रावधान दर्शाती है।

unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank with the Deputy General Manager & Company Secretary, Shareholders & Investor Grievances Cell, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500004, A.P., not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting. i.e., on or before the closing hours i.e., 5.00 p.m, of the Bank on **Wednesday, 29th February, 2012.**

6. ATTENDANCE SLIP -CUM- ENTRY PASS- CUM - BALLOT PAPER PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum- Ballot Paper Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/ Authorised Representative of the shareholder should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorised Representative" as the case may be.

The portion of the Ballot paper Pass shall be surrendered to obtain Ballot Paper at the time of Poll.

EXPLANATORY STATEMENT

ELECTION OF THREE SHAREHOLDER DIRECTORS

RIGHT OF SHAREHOLDERS TO ELECT DIRECTORS

The Bank had conducted an election at the Extraordinary General Meeting held on 6th March 2009 and elected Shri Prem Prakash Pareek, Shri V.H. Ramakrishnan and Shri K. Raghuraman as the Shareholder Directors and they assumed office in terms of Regulation 66 (iii) of the Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 on 14th March,2009 for a period of three years and their tenure ends on 13th March, 2012.

The public shareholding in the Bank stands at 41.9958% and in terms of Section 9(3)(i) of the Act, the Bank is required to elect three Directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

With a view to filling in the vacancies that will arise on 14th March 2012 and in order to reconstitute the Board of Directors of the Bank, the Bank has decided to convene an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank in terms of Regulations, to elect three Directors from amongst Shareholders other than the Central Government. The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedures detailed in the relevant Act, Regulation Act, the Scheme, the Regulations and the RBI Notification, the relevant portions of which are indicated hereunder.

A Director so elected shall assume office with effect from 14th March, 2012, the date following the date on which the term of the existing Directors expires, and will hold office for a period of three years from the date of assumption thereof.

LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Scheme/ Regulations/ Notifications applicable in this regard:

अधिनियम/ योजना / विनियम/ अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 16 (1) धारा 20	❖ सामान्य निदेशकों का निषेध ❖ अपने निदेशकों को या उनकी ओर से ऋण या अग्रिम प्रदान करने पर प्रतिबंध
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980	धारा 3 (2ई) धारा 9(3)(i) धारा 9(3ए) (ए) से (सी) धारा 9(3एए) धारा 9(3एबी) धारा 9(3बी) धारा 13(2)	❖ वोटिंग अधिकारों पर प्रतिबंध ❖ शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या ❖ कतिपय क्षेत्रों की विशेष जानकारी ❖ कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह ट्रैक रिकार्ड, निष्ठा और भारिबैं द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य मानकों के आधार पर सही एवं उचित व्यक्ति न हो। ❖ उक्त अधिनियम की धारा 9(ए) और 9(3एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करने पर ऐसे चुने गए निदेशक को हटाने का भारिबैं का अधिकार ❖ निष्ठा एवं गोपनीयता का दायित्व
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना, 1980	खंड 9(4) खंड 10 खंड 11 खंड 11ए खंड 11बी खंड 12(8)	❖ चुने गए निदेशकों की कार्यावधि ❖ बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु अनर्हता ❖ निदेशक के पद का रिक्त होना ❖ चयनित निदेशक का हटाया जाना ❖ चुने गए निदेशकों के कार्यालय में रिक्त स्थानों को भरना ❖ निदेशकों द्वारा कतिपय व्यवस्था, जिनमें उनका हित हो, में हित का प्रकटन

ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 16 (1) Section 20	❖ Prohibition of Common Director ❖ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA) Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	❖ Restriction on voting rights ❖ No. of directors to be elected by the shareholders ❖ Special knowledge in certain fields ❖ No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. ❖ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. ❖ Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	❖ Term of office of elected directors ❖ Disqualifications from being elected as a Director of the Bank ❖ Vacation of office of Director ❖ Removal from office of an elected Director ❖ Filling of vacancies in the office of elected directors ❖ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.

अधिनियम/ योजना / विनियम/ अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
आन्ध्रा बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 2003	विनियम 10	❖ संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग
	विनियम 61	❖ आम बैठकों में मतदान
	विनियम 63	❖ आम बैठकों में चुने गए निदेशक
	विनियम 64	❖ शेयरधारकों की सूची
	विनियम 65	❖ चुनाव हेतु अभ्यर्थियों का नामांकन
	विनियम 66	❖ नामांकन की जांच
	विनियम 67	❖ चुनाव विवाद
	विनियम 68	❖ मतदान अधिकारों का निर्धारण
	विनियम 69	❖ विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान
	विनियम 70	❖ प्राक्सी
भारिबैं अधिसूचना नं. डीबीओडी नं. बीसी.नं.46 तथा 47/ 29.39.001/ 2007-08 दिनांक 01.11.2007 और सं. डीबीओडी. बीसी. नं.95/29. 39.001/ 2010-11 दिनांक 23.05.2011	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 (3एए) और धारा 9(3एबी) के अनुसरण में।	राष्ट्रीयकृत बैंकों के मंडल में चुने गए निदेशकों के लिए सही एवं उचित मानक

संबंधित अधिनियम / योजना/ विनियम / अधिसूचनाओं आदि का उद्धरण

शेयरधारकों की सुविधा हेतु, विनियम, अधिनियम, अधिनियम, योजना तथा भरिबैं की अधिसूचना सं. डीबीओडी सं.बीसी सं.46 तथा 47/29.39.001/2007-08, दि.01.11.2007 तथा सं. डीबीओडी.बीसी.सं. 95/29.39.001/2010-11, दि.23.05.2011 से संबंधित उद्धरण बैंक की वैबसाइट www.andhrabank.co.in पर उपलब्ध होंगे। उन्हें इस सूचना के अंत में भी दोहराया गया है। ऐसे उद्धरणों को नामांकन-फार्मों के प्रस्तुतीकरण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि याने 18 फरवरी, 2012 को या इससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में उप महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव, शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत कक्ष, डॉ.पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद 500 004 आं.प्र. को किए गए अनुरोध की प्राप्ति पर इच्छुक उम्मीदवारों को ई-मेल द्वारा भी भेजा जाएगा।

बैंक के निदेशक के रूप में चुन जाने के लिए आवश्यक अर्हताएँ

(I) अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार वह उम्मीदवार जो बैंक का शेयरधारक है और बैंक का निदेशक बनने की इच्छा रखता है, उसे

(क) निम्न में से किसी एक अथवा अधिक विषयों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव हो : -

i. कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था

ii. बैंकिंग

ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003	Regulation 10	❖ Exercise of rights of joint holders
	Regulation 61	❖ Voting at General Meetings
	Regulation 63	❖ Directors to be elected at General Meetings
	Regulation 64	❖ List of Shareholders
	Regulation 65	❖ Nomination of candidates for election
	Regulation 66	❖ Scrutiny of nominations
	Regulation 67	❖ Election disputes
	Regulation 68	❖ Determination of voting rights
	Regulation 69	❖ Voting by duly authorized representative
	Regulation 70	❖ Proxies
RBI Notification No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/ 2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC. No.95/29.39.001/ 2010-11 dated 23.05.2011	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9 (3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980	Fit and Proper criteria for elected directors on the board of nationalized banks

EXTRACTS OF RELEVANT ACTS/SCHEME/REGULATIONS/ NOTIFICATIONS ETC.

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from Regulation Act, the Act, the Scheme as well as RBI Notifications No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 will be hosted in the Bank's website www.andhrabank.in. The same are also reproduced at the end of this Notice. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the the Deputy General Manager & Company Secretary, Shareholders & Investor Grievances Cell, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500004, A.P., on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz.18th February, 2012.

QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

(I) In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank shall

(A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following namely: -

i. agriculture and rural economy

ii. Banking

iii. सहकारिता
iv. अर्थशास्त्र
v. वित्त
vi. विधि
vii. लघु उद्योग
viii. किसी अन्य विषय में विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव, जो भारिबैं की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो। .

(ख) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता हो, अथवा

(ग) किसानों, कामगारों और शिल्कारों के हित का प्रतिनिधित्व करता हो

(II) अधिनियम की धारा 9(3एए) के अनुसार उम्मीदवार बैंक के शेयरधारक होने ओर जो बैंक के निदेशक बनने के इच्छुक हैं, उन्हें इस संबंध में समय-समय पर भारिबैं के निदेशों / अधिसूचनाओं के अनुसरण में "सही एवं उचित" हैसियत होनी चाहिए।

(III) इसके अतिरिक्त चयनित निदेशक को प्रतिज्ञा पत्र निष्पादित करना चाहिए और उन्हें इस संबंध में भारिबैं द्वारा निर्धारित अनुसार वार्षिक घोषणाएं प्रस्तुत करने की अपेक्षा है।

बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु अनर्हता

ए. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना 1980 के खंड 10 के अनुसार निदेश के रूप में नियुक्त होने हेतु अनर्हक होंगे :

(ए) यदि उसे कभी भी दिवालिया घोषित किया गया हो अथवा उसने भुगतान आस्थगित किया हो अथवा अपने ऋणदाता से समझौता किया हो; अथवा

(बी) यदि वह असंतुलित दिमाग के व्यक्ति के रूप में पाया गया हो और सक्षम न्यायालय ने उसे असंतुलित दिमाग के व्यक्ति के रूप में घोषित किया हो; अथवा

(सी) यदि फौजदारी न्यायालय ने उसे आपराधिक सजा सुनायी हो अथवा उसने ऐसा अपराध किया हो जिसमें नैतिक भ्रष्टाचार सम्मिलित हो; अथवा

(डी) यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (i) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी समानुषंगी बैंक में लाभ का पद धारित करता हो किंतु अपवाद स्वरूप वह अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3(ई) व (एफ) खंडों के अंतर्गत बैंक के नामित, बैंक के कर्मचारियों में से, प्रबंध निदेशक और निदेशकों सहित पूर्णकालिक निदेशक का पद धारित कर सकता है।

और

बी. यदि वह बैंक के निदेशकों की नामांकन समिति द्वारा भारिबैं की दि. 23.05.2011 की सं.डीबीओडी.बीसी.नं.95/29.39.001/2010-11 के साथ पठित अधिसूचना डीबीओडी नं.बीसी नं.46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दि.01.11.2007 के अनुसार "सही एवं अचित" व्यक्ति नहीं पाया जाता है।

प्रतियोगियों को शेयरधारकों की सूची

शेयरधारकों को चुनाव में भाग लेने हेतु सक्षम बनाने हेतु, विनियमों के विनियम 64 में दर्शायी शेयरधारकों की पूर्ण सूची, अंतिम तिथि (रिकार्ड) याने शुक्रवार, 3 फरवरी, 2012 के अनुसार, शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्र.का, डॉ.पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004 प्रधान कार्यालय में खरीद हेतु **"आन्ध्रा बैंक"** के हित में हैदराबाद में

iii. co-operation
iv. economics
v. finance
vi. law
vii. small scale industry
viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank of India is useful to the Bank.

(B) represents the interest of depositors; or

(C) represents the interest of farmers, workers and artisans.

(II) In terms of Section 9(3AA) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper' status pursuant to Reserve Bank of India's directives/notifications, from time to time in this regard.

(III) Further, the elected director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

A. In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:

(a) if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

(b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or

(d) if he holds any office of profit under any nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a Whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

And

B. In terms of Notification of Reserve Bank of India-DBOD No. BC. No. 46 & 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No. DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011, he is not found to be 'fit and proper' person, by the Nomination Committee of the Directors of the Bank.

LIST OF SHAREHOLDERS TO CONTESTANTS

To enable the Shareholders to contest the election, a complete List of Shareholders as indicated in Regulation 64 of the Regulations, as of the Cut-off (Record) Date i.e., Friday, 3rd February, 2012, will be available for purchase at Head Office of the Bank at Shareholders & Investor Grievances Cell, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500004, A.P., from Saturday, 11th February,2012, onwards for purchase by shareholders on a pre-payment of Rs.50000/-

देय किसी अनुसूचित बैंक के मांग ड्राफ्ट/भुगतान-आदेश द्वारा 50,000/-रु. के पूर्व भुगतान पर शेयरधारकों द्वारा खरीद हेतु शनिवार 11 फरवरी,2012 से उपलब्ध होगी।

शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों का रजिस्टर निरीक्षण के लिए प्रधान कार्यालय में सभी कार्य दिवस पर (रविवार और बैंक छुट्टी के अलावा अन्य दिन) याने सोमवार से शुक्रवार तक अपराह्न 3.00 बजे से 5.00 बजे और शनिवार प्रात: 11 बजे से 1.00 बजे तक उपलब्ध होगा। यदि कोई शेयरधारक रजिस्टर या उसके भाग की प्रति या कंप्यूटर प्रिंट लेना चाहता है तो 5/- रु. प्रति 1000 शब्द या उसके भाग को कॉपी करने की दर से पूर्व भुगतान करने पर उन्हें उसकी आपूर्ति की जाएगी।

चुनाव में भाग लेना

ऐसे शेयरधारक, जिनके नाम एनएसडीएल/ सीडीएसएल/ एसटीए द्वारा 03.02.2012 तक प्रस्तुत अनुसार शेयरधारकों/हिताधिकारी स्वामियों के रजिस्टर में होंगे, भाग लेने हेतु याने केंद्रीय सरकार के अलावा, शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में नामांकन, चुनाव तथा वोट देने हेतु पात्र होंगे।

विनियम 68 के अनुसार, प्रत्येक शेयरधारक जो शेयरधारक के रूप में 03.02.2012, अंतिम (रिकार्ड) तिथि को, साधारण बैठक की तिथि से पूर्व, पंजीकृत है, उसके पास एक वोट होगी तथा चुनाव की स्थिति में उसके पास प्रत्येक शेयर हेतु एक वोट होगी।

चुनाव हेतु अभ्यर्थियों का नामांकन

नामांकन की वैधता

विनियमों के विनियम 65 तथा भारिबैं की अधिसूचना डीबीओडी नं.बीसी नं.46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दि.01.11.2007 तथा दि. 23.05.2011 की सं. डीबीओडी. बीसी. नं. 95/29.39.001/2010-11 तथा विभिन्न अधिनियमों के लागू अन्य प्रावधानों के अनुरूप, निदेशक के रूप में चुनाव हेतु किसी उम्मीदवार का नामांकन वैध होगा बशर्ते कि :-

ए) उसके पास चुनाव में भाग लेने हेतु **शुक्रवार, 3 फरवरी, 2012** अंतिम तिथि (रिकार्ड) तक बैंक में 100 से कम शेयर न हों तथा उसके पास 5 मार्च, 2012 तक न्यूनतम 100 शेयर हों तथा अपनी अवधि की समाप्ति तक रहें, यदि उसका चुनाव हो जाता है।

बी) **शनिवार, 18 फरवरी, 2012** (नामांकन-प्राप्ति की अंतिम तिथि) तक अधिनियम/विनियम अधिनियम/ योजना/ विनियम / भारिबैं की अधिसूचनाओं के अंतर्गत वह निदेशक के रूप में अयोग्य न हो।

सी) नामांकन इस अधिनियम के अधीन निदेशकों को चुनने का हक रखने वाले कम से कम एक सौ शेयरधारकों या उनके द्वारा विधिवत नियत वकील द्वारा हस्ताक्षरित नामांकन लिखित रूप में हो, परंतु यह कि कोई शेयर-धारक, जो एक कंपनी हो, कथित कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा नामांकन किया जा सकेगा और और जहाँ ऐसा किया गया हो, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प कंपनी के निदेशकों के संकल्प की प्रति को सही प्रति के रूप में सत्यापित कर बैंक के प्रधान कार्यालय में उप महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव, शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत कक्ष, डॉ.पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद 500 004 आं.प्र. को प्रेषित किया जाना है और उक्त प्रति को संबंधित कंपनी की ओर से नामांकन के रूप में माना जाएगा।

डी) शेयरधारकों के नामांकन (न्यूनतम 100) के साथ उम्मीदवार द्वारा किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, आश्वासनों के रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार या किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित इस आशय का एक घोषणा पत्र हो कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव के

(Rupees Fifty Thousand only) by way of demand draft/pay order of a Scheduled Bank, in favour of '**Andhra Bank**' payable at Hyderabad.

INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders is also open for inspection at the Head Office of the Bank on all working days (other than Sundays & Bank holidays) i.e., Monday to Friday between 3.00 p.m. to 5.00 p.m. and on Saturday between 11.00 a.m. to 1.00 p.m. If any shareholder requires a copy or computer prints of the register or part thereof, the same shall be supplied to him on pre-payment at the rate of Rs.5/- for every 1000 words or fractional part thereof, required to be copied.

PARTICIPATION IN ELECTION

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial owners as furnished by NSDL/ CDSL / STA as on 03.02.2012, shall be entitled to participate i.e., Nominate, Contest and Vote in the election of Directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

As per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder as on 03.02.2012, the Cut-off (Record) Date, prior to the date of a general meeting, shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him / her.

NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION

Validity of Nominations

In terms of Regulation 65 of the Regulations and in terms of Notifications of Reserve Bank of India, DBOD No. BC. No. 46 & 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No. DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a Director shall be valid provided:

(a) he is a shareholder holding not less than 100 (One Hundred) shares in the Bank as on **Friday, 3rd February, 2012,** being the Cut-off (Record) date for participating in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till 5th March, 2012, and thereafter till the end of his tenure, if he is elected.

(b) as on **Saturday, 18th February, 2012** (the last date for receipt of nominations) he is not disqualified to be a Director under the Act/ Regulation Act/Scheme/Regulation/RBI Notifications;

(c) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the Head Office of the Bank addressed to the Deputy General Manager & Company Secretary, Shareholders & Investor Grievances Cell, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad 500004, A.P., and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company;

(d) the nominations by the shareholders (Minimum 100) is accompanied by a Declaration by the candidate, as per the specimen forms of nomination and declaration furnished in this Notice, duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or

लिए खड़े होने का इच्छुक है और यह कि इस अधिनियम के तहत या इस योजना या विनियम के तहत निदेशक बनने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है और साथ में विधिवत हस्ताक्षरित अपने वैयक्तिक विवरण (बायोडाटा)और यह पुष्टि करते हुए कि ऐसे विवरण उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और सूचना, घोशणा के बाद से संबद्ध ऐसी घटनाओं को यथासंभव बैंक को पूर्ण रूप से सूचित करने का उसका वचन पत्र प्रस्तुत करता है।

ई) नामांकन फार्म और घोषणा फार्म विनियम में यथा निर्धारित और संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार हो (प्रोफार्मा बैंक की वैबसाईट www.andhrabank.in में उपलब्ध है।

नामांकन फार्मों का प्रस्तुतीकरण

केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से बैंक के निदेशक के चुनाव लडने के लिए इच्छुक शेयरधारकों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुत किया जाए:

ए) विधिवत् भरा घोषणा फार्म

बी) चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र न्यूनतम सौ शेयरधारकों से नामांकन

सी) व्यक्तिगत सूचना, घोषणा और वचन पत्र संबंधित प्रलेखों के साथ, प्रमाण-पत्र यथा बयो-डाटा, शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि के प्रमाण-पत्र

सूचना से संलग्न फार्मेट में बंद लिफाफे में सभी पहलुओं में संपूर्ण संबंधित प्रलेखों के साथ असाधारण आम बैठक के लिए नियत तारीख से **कम से कम 14 दिन पहले** बैंक के कार्य समय की समाप्ति से पहले याने **शनिवार 18 फरवरी 2012** अपराह्न 2.00 बजे से पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में उप महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव, शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत कक्ष, डॉ.पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद 500 004 आं.प्र. में प्रस्तुत किए जान अन्यथा, नामांकन अस्वीकार किए जा सकते हैं।

नामांकन की जाँच

(i) नामांकनों की जाँच प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्रथम कार्य दिवस याने **सोमवार, 20 फरवरी 2012** को की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है, उसका कारण उल्लिखित करने के बाद उसे अस्वीकार किया जाएगा।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार 'सही एवं उचित स्थिति' निर्धारित करने हेतु बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा नामांकन की जाँच की जाती है।

(iii) चुनाव द्वारा भरे जाने वाली तीन रिक्तियों के लिए यदि तीन या तीन से कम नामांकन हैं तो ऐसे वैध रूप से नामित उम्मीदवार को उसी समय चयनित माना जाएगा और इस प्रकार चयनित के रूप में उनके नाम और डाक पते प्रकाशित किए जाएंगे। ऐसी स्थिति में असाधारण आम बैठक को रद्द माना जाएगा1 तथापि, चयनित अभ्यर्थी 14 मार्च 2012 को ही कार्यभार ग्रहण करेंगे।

(iv) यदि वैध नामांकन चयनित किए जाने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक हो, तो अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक द्वारा चुनाव में बहुमत प्राप्त उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाएंगे और उनके नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे । वे 14 मार्च 2012 को कार्यभार ग्रहण करेंगे।

(v) विवाद के मामले में, विनियमों के विनियम 67 के अनुसार निपटान किया जाएगा।

05.03.2012 को चुनाव प्रक्रिया

निदेशकों के चुनाव हेतु वोटिंग **हाथ-दिखाने के आधार पर नहीं,** बल्कि गुप्त-मत द्वारा चुनाव से होगी।

other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any nationalised Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified from being a Director, either under the Banking Regulation Act or the Act or the Scheme or the Regulations.

(e) The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation and as per the proforma annexed (The proforma is also available on the Bank's website www.andhrabank.in).

SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government should submit:

a) Duly filled in Declaration Form;

b) Nominations from minimum of hundred shareholders entitled to participate in the election;

c) Personal Information, Declaration and Undertaking together with the connected documents, testimonials, viz. Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc. in the formats annexed to the Notice, in a sealed envelope to the Deputy General Manager & Company Secretary, Shareholders & Investor Grievances Cell, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500004, A.P., together with connected documents, complete in all respects, on a working day **not less than fourteen days** before the date fixed for the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank i.e., 2.00 p.m.. on **Saturday, 18th February, 2012** failing which, the nominations are liable to be rejected.

SCRUTINY OF NOMINATIONS.

(i) Nominations shall be scrutinised by the Bank on **Monday, 20th February 2012**, the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason(s) thereof.

(ii) Nominations shall also be subjected to scrutiny to determine their 'Fit & Proper Status' by the Nomination Committee of the Board in terms of Reserve Bank of India Notification.

(iii) If there are only three valid nominations for the three vacancies to be filled-in by the election, the candidates so nominated shall be deemed to be elected forthwith and their names and addresses shall be published as so elected. In such an event, the Extraordinary General Meeting will stand cancelled. However, the elected candidates shall assume office only on 14th March,2012

(iv) If valid nominations are more than the number of Directors to be elected, the names of the candidates shall be published in the newspapers and candidates polling the majority of the votes shall be elected and their names will be announced by the Chairman & Managing Director and also published in newspapers. They will assume office on 14th March, 2012.

(v) If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Regulations.

POLL PROCESS on 05.03.2012

The Voting for election of directors **will not be on the basis of show of hands** but shall be done by Poll by means of secret Ballot.

बैल्ट पेपर का प्रारंभ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा इस संबंध में घोषणा के तुरंत बाद होगा तथा 1.30 बजे तक जारी रहेगी। बैलट पेपर इस उद्देश्य हेतु स्थापित काउंटर पर जारी होंगे। ये पंजीकरण के समय जारी बैलट-पेपर सौंपने पर अधिकृत प्रतिनिधि/प्रतिनिधि-धारक/ शेयरधारक को दिए जाएंगे। वोटों की संख्या 3 फरवरी, 2012 को उनके पास शेयरों की संख्या के बराबर होगी।

शेयरधारक बैलट-पेपर में अपनी इच्छा के 3 उम्मीदवारों के नामों के आगे एक रबड मोहर (X) लगाकर अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं तथा बैलट -बॉक्स में जमा कर सकते हैं।

उसके पश्चात वोटों की गिनती प्रारंभ होगी तथा परिणाम की घोषणा अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक द्वारा की जाएगी।

चुनाव की पूर्ण प्रक्रिया बैंक द्वारा नियुक्त रिटर्निंग आफिसर, बैंक द्वारा कथित उद्देश्य हेतु नियुक्त एक स्वतंत्र सलाहकार द्वारा संपन्न की जाएगी तथा केंद्रीय सरकार का नामिती इस प्रक्रिया की देख-रेख करेगा, जो एक प्रेक्षक के रूप में कार्य करेगा।

नामांकन वापस लेना

यदि कोई अभ्यर्थी अपना नामांकन वापस लेना चाहता हो ता वह शनिवार, **3 मार्च 2012** को अपराह्न **2.00 बजे** को या पूर्व किसी भी समय ऐसा करने के लिए पात्र होंगे।

निदेशकों का हित

यदि बैंक के निदेशक चुनाव में भाग लेते हैं तो यह माना जाएगा कि उपर्युक्त व्यापार मद से वे संबंधित है या उनका हित है ।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते आन्ध्रा बैंक

(टी.आर. रामभद्रन)
उप महाप्रबंधक एवं
कंपनी सचिव

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 02.02.2012

The issue of Ballot Paper will commence immediately after an announcement in this regard, is made by the Chairman & Managing Director and continue upto 1.30 p.m. Ballot Papers shall be issued at the Counters set up for this purpose to the shareholders/ Proxy holders/ authorized representatives on surrender of Ballot Paper issued at the time of registration. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them on 3rd February, 2012.

Shareholders may exercise their right by affixing a rubber stamp (X) against the names of three candidates of their choice in the Ballot Paper and deposit them in the Ballot Box(es).

The counting of votes would be taken up thereafter and result would be announced by the Chairman & Managing Director.

The entire process of Election would be conducted by the Returning Officer appointed by the Bank, an Independent Consultant appointed for the said purpose by the Bank and would be overseen by the Central Government Nominee who will act as an Observer.

WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank on or before **2.00 p.m.** on Saturday**, 3rd March 2012**.

INTEREST OF DIRECTORS

Directors of the Bank may be deemed to be concerned or interested in the aforementioned item of business in case they contest the Election.

By order of the Board of Directors
for ANDHRA BANK

(T.R. RAMABHADRAN)
DY. GENERAL MANAGER &
COMPANY SECRETARY

Place: Hyderabad

Dated: 02.02.2012

घोषणा

(उम्मीदवार द्वारा)

(विनियमों के विनियम 65 का संदर्भ लें)

मैं, श्री/श्रीमती
सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी/श्री/श्रीमती,का निवासी एतद्द्वारा पुष्टि करता हूं/करती हूं कि

ए. मैं **शुक्रवार 3 फरवरी, 2012** याने चुनाव में भाग लेने हेतु कट-ऑफ (रिकार्ड) तिथि को बैंक के 10/- रु प्रत्येक के ईक्विटी शेयर रखने वाला शेयरधारक हूं तथा चुने जाने पर अपनी अवधि की समाप्ति तक 100 ईक्विटी शेयर रखूंगा तथा

बी. मुझे (i) कृषि और ग्रामीण अर्थ व्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारिता (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग या (विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक ज्ञान जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा में विशेष ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव है और मैं सम्बन्धित अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3(क) के अनुसार जमाकर्ताओं अथवा कृषकों, कर्मचारियों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूं/करती हूं और उसके साक्ष्य के रूप में इसके साथ सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता हूं/करती हूं ।

सी. मैं संख्या में नामांकन स्वीकार करता हूं और

डी. मैं आन्ध्रा बैंक के निदेशक के चुनाव के लिए खड़ा होने का ईच्छुक हूं और

ई. मुझे अधिनियम के प्रावधानों, योजना, विनियमों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अन्तर्गत बैंक का निदेशक बनने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है ।

एफ. मैं राष्ट्रीयकृत बैंक में या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के अन्तर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक में या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में परिभाषित के अनुसार किसी अनुषंगी बैंक में न तो लाभ का कोई पदधारी हूं और न ही कर्मचारी हूं ।

जी. मैं अपने व्यक्तिगत विवरण संलग्न करता हूं जो मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण हैं । और

एच. मैं इस घोषणा के बाद किसी भी परवर्ती घटनाओं के लिए यथाशीघ्र बैंक को सूचित करने का वचन देता हूं जो निम्न प्रस्तुत जानकारी से सम्बद्ध है और बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने पर प्रतिज्ञा-पत्र का विलेख निष्पादित करने का वचन देता हूं ।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो संख्या (यदि बेकागज़ीकृत न हो)	
डीपी आईडी सं एवं ग्राहक आईडी सं (यदि बेकागज़ीकृत हो)	
स्थान	
दिनांक	

जज, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या आश्वासन उप रजिस्ट्रार अथवा अन्य किसी राजपत्रित अधिकारी या भारिबैं या
(आन्ध्रा बैंक या कोई राष्ट्रीयकृत बैंक) के अधिकारी की मोहर सहित हस्ताक्षर उक्त घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए

.....

सील सहित हस्ताक्षर

नाम :

दिनांक :

* जो लागू न हो उसे काट दें

DECLARATION

(BY THE CANDIDATE)

(Refer Regulation 65 of the Regulations)

I, Shri/Smt_____ son / daughter / wife of Shri / Smt. _____, a resident of _____ hereby confirm that:

a. I am a shareholder holding _____ equity shares of Rs.10/- each of the Bank as on **Friday, 3rd February 2012,** i.e., the Cut-Off (Record) date for participating in the elections and will hold a minimum of 100 equity shares till the end of my tenure, if elected; and

b. I have special knowledge or practical experience in *(i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance, (vi) law, (vii) small scale industry, or _____ (special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India, would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors, **or** farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials; and

c. I accept the nominations numbering _____; and

d. I am willing to contest for the election of Directors of Andhra Bank; and

e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Act, Scheme, Regulations and RBI Notification; and

f. I neither hold any office of profit nor an employee of any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959; and

g. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete; and

h. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.

Name	
Signature	
No of Shares	
Regd. Folio No(If not dematerialised)	
DP ID No. & Client ID No(if dematerialised)	
Place	
Date	

Signature with Seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or _____ (Andhra Bank or any nationalised bank.) The above declaration was signed before me.

Signature with Seal

Name

Date

* Tick whichever is applicable

नामांकन फार्म

(शेयरधारक द्वारा)

(विनियमों के विनियम 65(i)(डी) का संदर्भ लें**)**

सेवा में

आन्ध्रा बैंक
शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत कक्ष
प्रधान कार्यालय, डा पट्टाभि भवन,
5-9-11 सैफाबाद,
हैदराबाद-500004 (आन्ध्र प्रदेश)

महोदय,

निदेशक के चुनाव हेतु नामांकन

आपके दिनांक2012 के नोटिस के संदर्भ में, मैं श्री/श्रीमती,
जो **शुक्रवार 3 फरवरी, 2012** (चुनाव में भाग लेने हेतु कट-ऑफ (रिकार्ड) तिथि मानी गई है) को 10/- रू प्रत्येक के
ईक्विटी शेयरधारक हूं, **सोमवार 5 मार्च, 2012** को हैदराबाद में आयोजित की जाने वाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक में, बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3) (i) के उपबन्धों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले आन्ध्रा बैंक के निदेशक के रूप में चयनित होने हेतु
के निवासी श्री/श्रीमतीसुपुत्र/
सुपुत्री/पत्नीको नामित करता हूं/करती हूं ।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो संख्या (यदि बेकागज़ीकृत न हो)	
डीपी आईडी सं एवं ग्राहक आईडी सं (यदि बेकागज़ीकृत हो)	
स्थान	
दिनांक	

टिप्पणीयां:

1) यदि नामांकन किसी कंपनी निकाय द्वारा किया जाता है तो नामांकन फार्म के साथ उस बैठक के अध्यक्ष जिस बैठक में ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया है, द्वारा हस्ताक्षरित निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की सत्यापित प्रति संलग्न होनी चाहिए ।
2) प्रत्याशी का नामांकन करने वाले शेयरधारक के हस्ताक्षर बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मिलने चाहिए ।

NOMINATION FORM

(By the Shareholder)

[Refer Regulation 65(i)(d) of the Regulations]

To

Andhra Bank,

Shareholders & Investor Grievances Cell

Head Office Dr. Pattabhi Bhavan

5-9-11, Saifabad

Hyderabad 500004 A.P.

Sirs,

Nomination for election of a Director

With reference to your Notice dated _____ 2012, I Shri/Smt _____ a shareholder of Andhra Bank holding _____ equity shares of Rs.10/- each as on **Friday, the 3rd February, 2012** (being the Cut-off (Record) date considered for participating in the election), do hereby nominate Shri/Smt _____ _____ son / daughter / wife of _____ _____ residing at _____ for being elected as a Director of Andhra Bank representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on **Monday, the 5th March, 2012** at Hyderabad.

Name	
Signature	
No. of Shares	
Regd. Folio No(If not dematerialised)	
DP ID No. & Client ID No(if dematerialised)	
Place	
Date	

Notes:

1) In case nomination is made by a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.

2) Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signatures available with the Share Transfer Agents of the Bank.

व्यक्तिगत सूचना, घोषणा पत्र एवं वचन पत्र

बैंक का नाम: आन्ध्रा बैंक

यहाँ पासपोर्ट आकार का हाल का फोटो लगाएं

---------- 2012 को उचित संलग्नकों सहित अभ्यर्थी द्वारा घोषणापत्र एवं वचनपत्र

I		**अभ्यर्थी के व्यक्तिगत विवरण**	
	ए	पूरा नाम पिता का नाम (पूरा नाम)	
	बी	जन्म तिथि	
	सी	शैक्षिक योग्यताएं	
		((शैक्षिक) कृपया सूचना के समर्थन में प्रमाण-पत्रों की स्वसत्यापित प्रतियां संलग्न करें)	
		(शैक्षिक / व्यावसायिक) (कृपया सूचना के समर्थन में प्रमाण-पत्रों की स्वसत्यापित प्रतियां संलग्न करें).	
	डी	संबंधित पृष्ठभूमि और अनुभव बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9(3ए) के अंतर्गत यथा अपेक्षित (कृपया बैंक के निदेशक होने के संबंध में अपने अनुभव सूचित करें)	
	ई	स्थायी पता	
	एफ	वर्तमान पता	
	जी	ई-मेल पता दूरभाष नंबर (लैंडलाइन) दूरभाष नंबर (मोबाईल)	
	एच	(1) आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी खाता नंबर (कृपया प्रति संलग्न करें) (2) आयकर मंडल / डिविज़न जहाँ व्यक्तिगत कर विवरणियां दायर की जा रही हैं।	

PERSONAL INFORMATION, DECLARATION & UNDERTAKING

Name of the Bank : Andhra Bank

AFFIX
PASSPORT SIZE
PHOTO HERE

Declaration & Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on _____2012

I		**Personal details of the Candidate**	
	a	Full Name (in block capital letters) Father's Name (in Full)	
	b	Date of Birth	
	c	Educational Qualifications	
		(Educational/ academic)(Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	
		(Educational/ professional) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	
	d	Relevant Background and Experience (As required under Section 9(3A) of the Banking Companies (Acquisition & transfer of Undertakings) Act, 1980. (Please indicate your experience relevant to the directorship of the Bank).	
	e	Permanent Address	
	f	Present Address	
	g	E-mail Address Telephone Number (Landline) Telephone Number (Mobile)	
	h	(1) Permanent Account Number under the Income Tax Act (Please enclose a copy) (2) Name and Address of the Income Tax Circle/Division where personal tax returns are being filed.	

	आई	संबंधित ज्ञान और अनुभव (बैंककारी कंपनी (अर्जन एवं अतंरण) अधिनियम 1980 की धारा 9(3-ए) का संदर्भ लें)	
	जे	बैंक के निदेशक होने से संबंधित कोई अन्य सूचना	
II		**अभ्यर्थी के प्रासंगिक संबंध**	
	ए	बैंक से जुडे रिश्तेदारों की सूची, यदि हो (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 और अनुसूची 1ए का संदर्भ लें)	
	बी	संस्थाओं की सूची, यदि हो, जिनमें उनका हित माना जाता हो (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 299(3)(क) और धारा 300 का संदर्भ लें)	
	सी	संस्थाओं की सूची, जिनमें प्रस्तावित एवं विद्यमान बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5(एनई) के अंतर्गत उनका पर्याप्त हित है ।	
	डी	बैंक का नाम जिसमें वे बोर्ड के सदस्य हैं या रह चुके हैं (कार्यावधि के विवरण देते हुए)	
	ई	उनके द्वारा या ।।(बी) एवं (सी) में सूचित संस्थाओं द्वारा बैंक से ली गई निधि एवं गैर-निधि सुविधाएं, यदि कोई हो	
	एफ	बैंक या किसी अन्य बैंक से अभ्यर्थी या ।।(बी) एवं (सी) में सूचित संस्थाओं द्वारा ली गई ऋण सुविधाओं में चूक के मामले, यदि हो	

	i	Relevant knowledge and experience (Refer Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act,1980	
	j	Any other information relevant to Directorship of the Bank	
II		**Relevant Relationships of Candidate**	
	a	List of Relatives if any who are connected with the Bank (Refer Section 6 and Schedule 1A of the Companies Act, 1956)	
	b	List of entities if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 299(3)(a) and Section 300 of the Companies Act, 1956)	
	c	List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing	
	d	Name of Bank in which he/she is or has been a member of the board (giving details of period during which such office was held)	
	e	Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him/her and/or by entities listed in II (b) and (c) above from the Bank	
	f	Cases, if any, where the Candidate or entities listed in II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the bank or any other bank.	

III		**व्यावसायिक उपलब्धियों के रिकार्ड**	
	ए	प्रासंगिक व्यावसायिक उपलब्धियां	
IV		**अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई, यदि हो**	
	ए	यदि अभ्यर्थी किसी व्यावसायिक संघ / निकाय के सदस्य है, उनके विरुद्ध लंबित या चल रही या अतीत में दोषसिद्धि की अनुशासनिक कार्रवाई, यदि हो, का विवरण और क्या उन्हें किसी समय किसी भी व्यवसाय में प्रवेश से प्रतिबंधित किया गया है।	
	बी	अभ्यर्थी और/या ।।(बी) एवं (सी) में सूचित संस्थाओं के विरुद्ध आर्थिक विधि और विनियमों के उल्लंघन के लंबित या चल रही या अतीत में दोषसिद्धि के अभियोजन, यदि हो, के विवरण	
	सी	अभ्यर्थी के विरुद्ध लंबित या चल रही या अतीत में दोषसिद्धि के आपराधिक अभियोजन, यदि हो, के विवरण	
	डी	क्या उम्मीदवार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 के अंतर्गत किसी अनर्हता के पात्र हैं?	
	ई	क्या अभ्यर्थी या ।।(बी) एवं (सी) में सूचित संस्थाओं के विरुद्ध सरकारी विभाग या एजेंसी द्वारा कोई जांच हुई है ?	
	एफ	क्या अभ्यर्थी को किसी भी समय सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क / आयकर/ विदेशी विनिमय / अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियम/विनियम/ विधान की अपेक्षाओं के उल्लंघन हेतु दोषी पाया गया है, यदि हाँ तो विवरण दें।	
	जी	क्या अभ्यर्थी अनुचित कारणों से किसी विनियामक यथा सेबी, इरडा, डीसीए, भारिबैं, फेमा, एमसीए, सिबिल आदि के ध्यान में आए हैं।	
		(हालांकि अभ्यर्थी को कॉलम में विनियामकों के ऐसे आदेश और निष्कर्ष का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है जिन्हें पूर्णत: प्रत्यावर्तित / रद्द किया गया है, यह आवश्यक होगा कि इनका उल्लेख करें, यदि प्रत्यावर्तन /रद्दकरण गुणों के आधार पर न होकर तकनीकी कारणों से यथा क्षेत्राधिकार के सीमित होने या इसके अभाव में, आदि से हुआ है । यदि विनियामक का आदेश अस्थायी तौर पर आस्थगित किया गया है और अपील / न्यायालय कार्रवाई लंबित है तो इसका भी उल्लेख किया जाए।	

III		**Records of professional achievements**	
	a	Professional achievements relevant	
IV		**Proceedings, if any, against the Candidate**	
	a	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/ she has been banned from entry of at any profession/occupation at any time.	
	b	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate and/or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations	
	c	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate	
	d	Whether the Candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 274 of the Company's Act 1956?	
	e	Has the Candidate or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
	f	Has the Candidate at any time been found guilty of violation of rules/regulations/ legislative requirements by customs/ excise /income tax/foreign exchange / other revenue authorities, if so give particulars	
	g	Whether the Candidate at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA, RBI, FEMA, MCA CIBIL etc.(Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed/ set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc. and not on merit. If the order of regulator is temporarily stayed and the appellate/ court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	

V		सही एवं उचित माने जाने हेतु मद । से ।।। के संबंध में कोई अन्य प्रासंगिक स्पष्टीकरण / सूचना	

वचन पत्र

मैं _____

सुपुत्र / सुपुत्री / पत्नी श्री _____ यह पुष्टि करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी उत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं अपनी नियुक्ति के बाद ऊपर दी गई सूचना से प्रासंगिक सभी घटनाओं के संबंध में बैंक को यथाशीघ्र पूर्णत: सूचित करने का वचन देता /देती हूँ।

मैं प्रसंविदा प्रलेख निष्पादित करने का भी वचन देता/देती हूँ जिसे बैंक के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादित किया जाना अपेक्षित है।

स्थान:
दिनांक : **अभ्यर्थी के हस्ताक्षर**

संलग्नक :
1. जहाँ कहीं स्थान पर्याप्त न हो, कृपया उचित प्रति-संदर्भ सहित वर्णक्रम में अनुबंध के रुप में सूचना संलग्न करें।
2. प्रत्येक पृष्ठ (अनुबंध सहित) पर अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित है।

नामांकन समिति के प्रेक्षण / अभ्युक्ति :

समिति सदस्य	समिति सदस्य	समिति सदस्य	समिति सदस्य

स्थान :

दिनांक :

V	Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging fit and proper	

Undertaking

I _____ Son/ Daughter / Wife of Shri _____confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute the deed of covenant required to be executed by all directors of the bank.

Place :

Date : **Signature of Candidate**

Enclosures:

1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in chronological order and with appropriate cross reference.
2. Each page (including annexures) is required to be signed by the candidate.

Observations / Remarks of the Nomination Committee:

Committee Member	Committee Member	Committee Member	Committee Member

Place :

Date :

आन्ध्रा बैंक

प्रधान कार्यालय: डा पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद 500004 आ प्र

उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास सह बैलट पेपर पास

असाधारण आम बैठक

दिनांक : सोमवार, 5 मार्च, 2012 प्रात: 10.30 बजे

स्थान : शिल्पकला वेदिका, शिल्पारामम, क्राफ्ट विलेज, हाईटेक सिटी के पास, मादापुर, हैदराबाद - 500 081.

उपस्थिति पर्ची

(स्थान पर प्रवेश के समय सौंपी जाए)

नाम बडे अक्षरों में (शेयरधारक/प्रोक्सी/ए आर)			
शेयरों की संख्या			
पंजीकृत फोलियो सं (यदि बेकागज़ीकृत नहीं)		**डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी** (यदि बेकागज़ीकृत)	
उपस्थित शेयरधारक/प्रौक्सी /प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

आन्ध्रा बैंक

प्रधान कार्यालय: डा पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद 500004 आ प्र

प्रवेश पास

(बैठक के दौरान रखा जाना है)

असाधासरण आम बैठक दिनांक : **सोमवार,5 मार्च,2012, प्रात: 10.30 बजे**

नाम बडे अक्षरों में (शेयरधारक/प्रोक्सी/ए आर)			
शेयरों की संख्या			
पंजीकृत फोलियो सं (यदि बेकागज़ीकृत नहीं)		**डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी** (यदि बेकागज़ीकृत)	
उपस्थित शेयरधारक/प्रौक्सी /प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

शेयरधारक/प्रोक्सी या शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध किया जाता है कि वे उक्त उपस्थिति पर्ची, बैंक में पंजीकृत उनके नमूना हस्ताक्षर के अनुसार विधिवत् हस्ताक्षर करके प्रवेश पास के साथ स्थल में प्रवेश हेतु प्रस्तुत करें, फिर भी प्रवेश सत्यापन/जांच, जो आवश्यक समझा जाए, के अधीन होगा । प्रवेश पास - बैलट पेपर का भाग शयरधारक/प्रोक्सी/प्रतिनिधि को वापिस सौंपा जाएगा जो उन्हें बैठक के अंत तक अपने पास रखना होगा । किसी भी परिस्थिति में बैठक के प्रवेश द्वार पर अनुलिपि उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास सह बैलट पेपर पास जारी नहीं किया जाएगा ।

आन्ध्रा बैंक

प्रधान कार्यालय: डा पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद 500004 आ प्र

बैलट पेपर पास

(बैलट पेपर प्राप्त करने हेतु चुनाव काउंटर पर सौंपा जाना है)

असाधारण आम बैठक

दिनांक: सोमवार, 5 मार्च, 2012, प्रात: 10.30 बजे

नाम बडे अक्षरों में (शेयरधारक/प्रोक्सी/ए आर)			
शेयरों की संख्या			
पंजीकृत फोलियो सं (यदि बेकागज़ीकृत नहीं)		**डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी** (यदि बेकागज़ीकृत)	
उपस्थित शेयरधारक/प्रौक्सी /प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

Andhra Bank

Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hydrrabad 500004 A.P.

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS-CUM-BALLOT PAPER PASS

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Date: Monday, 5th March, 2012 at 10.30 A.M.

Place : Shilpakala Vedika, Shilparamam, Crafts Village, Near Hi-Tech City, Madhapur, Hyderabad – 500 081.

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Name in Block Letters (Shareholder/Proxy/AR)			
Number of Shares			
Regd. Folio No. (If not dematerialised)		**DP ID & Client ID** (If dematerialised)	
Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present			

ANDHRA BANK

Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad 500004 A.P.

ENTRY PASS

(to be retained throughout the meeting)

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Date: MONDAY, 5th March, 2012, 10.30 A.M.

Name in Block Letters (Shareholder/Proxy/AR)			
No. of Shares			
Regd. Folio (If not dematerialized)		**DP ID & Client ID** (If dematerialised)	
Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present			

Shareholders / proxy or authorised representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. The entry pass – Ballot Paper Pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy/Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting The Ballot Paper Pass portion shall be surrendered to obtain Ballot Paper. Under no circumstances, any duplicate attendance slip- cumEntry pass-cumBallot Paper Pass will be issued at the entrance to the meeting.

ANDHRA BANK

Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad 500004 A.P.

BALLOT PAPER PASS

(to be surrendered to the Polling counters to get Ballot Paper)

EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Date: Monday, 5th March, 2012, 10.30 A.M.

Name in Block Letters (Shareholder/Proxy/AR)			
No. of Shares			
Regd. Folio (If not dematerialized)		**DP ID & Client ID** (If dematerialised)	
Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present			

आन्ध्रा बैंक

प्रधान कार्यालय: डा पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद 500004 आ प्र

प्रॉक्सी फार्म (फार्म 'बी')

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हसताक्षरित किया जाना है)

पंजीकृत फोलियो नं (यदि बेकाग़जीकृत नहीं हो)	
डी पी आई डी नं	
ग्राहक आई डी नं (यदि बेकाग़जीकृत हो)	
शेयरों की संख्या	

मैं/हम _____

निवासी _____ जिला_____ राज्य_____

आन्ध्रा बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतदद्वारा श्री/श्रीमती _____

निवासी_____ जिला_____ राज्य_____ या इनके न आने पर श्री/

श्रीमती_____ निवासी_____ जिला_____

राज्य_____ को आन्ध्रा बैंक के शेयरधारकों की **सोमवार, 5 मार्च, 2012** को प्रातः 10.30 बजे शिल्प कला वेदिका, शिल्पारामम, क्राफट्स विलेज, हाइटेक सिटी के पास, मादापुर, हैदराबाद 500 081 में होने वाली असाधारण आम बैठक और उसके स्थगन की बैठक में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से वोट देने के लिए प्राक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं.

---------- 2012 के ---------- दिन को हस्ताक्षरित

_____ _____

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर प्रथम नामित/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम : _____

पता : _____

<u>प्राक्सी फार्म हस्ताक्षर करने एवं जमा करने के अनुदेश</u>

1. प्राक्सी की कोई लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि :
 ए) वह व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में उनके या उनके वकील द्वारा हस्ताक्षरित और विधिवत् लिखित रूप में प्राधिकृत न हो।
 बी) संयुक्त धारकों के मामले में वह पंजी में दर्ज प्रथम नामित शेयरधारक या उनके वकील द्वारा हस्ताक्षरित और विधिवत् लिखित रूप में प्राधिकृत न हो
 सी) निगम निकाय के मामले में किसी वकील अथवा विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित और विधिवत् लिखित रूप में प्राधिकृत न हो। यह ध्यान दें कि विधिवत प्रतिनिधि के रूप में / प्राक्सी नियुक्त करने का अधिकार, नियुक्त करते हुए संकल्प की एक प्रति, जो बैठक के अध्यक्ष द्वारा सही-प्रति के रूप में प्रमाणित हा, संलग्न करनी है।
2. प्राक्सी की लिखत पर किसी ऐसे शेयरधारक के पर्याप्त हसताक्षर हों। किसी कारणवश वे हस्ताक्षर नहीं कर सकते हों, तो उस सरकारी राजपत्रित अधिकारी या आन्ध्रा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाए।
3. प्राक्सी के साथ
 ए) मुख्तारनामा या अन्य कोई प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित किया गया हो अथवा,
 बी) नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा या प्राधिकार की प्रति, आन्ध्रा बैंक, शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, डॉ.पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफबाद, हैदराबाद- 500 004 आं.प्र.में असाधारण आम बैठक प्रारंभ होने के **चार दिन** पहले याने **बुधवार, 29 फरवरी 2012** के कार्यसमय की समाप्ति याने सायं 5.00 बजे तक या इससे पहले जमा किया जाए।
4. कोई प्राक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि उस पर विधिवत् स्टाम्प न लगी हो तथा वह विनियम के फार्म 'बी' में न हो।
5. बैंक में जमा करायी गयी प्राक्सी लिखत अप्रतिसंहरणीय **एवं अंतिम होगी।**
6. वैकल्पिक रूप में दो अनुमोदित व्यक्तियों के पक्ष में मंजूर प्राक्सी लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किए जाएंगे।
7. प्राक्सी की लिखत निष्पादित करने वाले शेयरधारक का उस बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हक़ नहीं हागा जिस बेठक से ऐसी लिखत संबंधित हो।
8. जो व्यक्ति आन्ध्रा बैंक का अधिकारी या कर्मचारी है उस व्यक्ति को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्राक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

ANDHRA BANK

Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad,Hyderabad 500004 A.P.

PROXY FORM (Form 'B')

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio No. (if not Dematerialised)	
DP ID No.	
Client ID No. (if Dematerialised)	
No. of shares	

I / We _____ resident/s of _____ in the district of _____ in the state of _____ being a shareholder / shareholders of Andhra Bank hereby appoint Shri / Smt. _____ resident of _____ _____ in the district of _____ in the state of _____ or failing him, Shri / Smt _____resident of _____in the district of _____ in the state of _____ as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of Andhra Bank to be held on **Monday, 5th March, 2012** at 10.30 A.M. at Shilpakala Vedika, Shilparamam, Crafts Village, Near Hi-Tech City, Madhapur, Hyderabad- 500 081, and at any adjournment thereof.

Signed this _____day of_____2012

_____ Signature of Proxy

_____ Signature of first named / sole shareholder

Name : _____

Address : _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
 a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 c) in the case of a body corporate, signed by the duly authorised representative or an attorney duly authorised in writing. It is to be noted that a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative/ power to appoint a proxy, certified to be true copy by the Chairman of the meeting is to be attached
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Andhra Bank.
3. The proxy together with
 a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at Andhra Bank, Shareholders & Investor Grievances Cell, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad 500004 A.P., not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m. on **Wednesday, 29th February 2012**.
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped and in Form "B" of the Regulations.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank **shall be irrevocable and final**.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Andhra Bank.

निदेशकों का चुनाव - अधिनियमों, योजना तथा विनियमों इत्यादि के उद्धरण

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9(3) (i) के अनुसार धारा 3 की उपधारा (2 बी) के खंड (सी) के अंतर्गत जारी पूँजी की मात्रा के आधार पर शेयरधारक निवेशकों की नियुक्ति करनी होगी। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 तथा आन्ध्रा बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 2003 की संबंधित धाराओं एवं विनियमों को शेयरधारकों के सूचनार्थ नीचे पुन: प्रस्तुत किया जाता है।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

सामान्य निदेशकों का निषेध: धारा 16(1)

भारत में कोई भी बैंकिंग कंपनी ऐसे व्यक्ति को निदेशक मंडल में नहीं ले सकती जो किसी अन्य बैंक में निदेशक हो।

ऋण और अग्रिमों पर प्रतिबंध: धारा 20

1) कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी बैंकिंग कंपनी
 - क) अपने ही शेयरों की प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं करेगी और न ही वचनबद्धता करेगी।
 - ख) निम्नलिखित को या उनकी ओर से न तो किसी प्रकार के ऋण या अग्रिम प्रदान करेगी और न ही वचनबद्धता करेगी।
 - (i) अपने किसी निदेशक
 - (ii) किसी भी फर्म जिसमें उनका निदेशक, साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटीकर्ता के रुप हित रखता हो, या
 - (iii) कोई ऐसी कंपनी हो जिसमें या जिसकी अनुषंगी न हो या कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत हो या सरकारी कंपनी हो जिसमें यह पर्याप्त रुप से हितबद्ध हो, अथवा
 - (iv) ऐसा कोई व्यक्ति जिससे उसका कोई निदेशक, साझेदार या गारंटीकर्ता के रुप में हितबद्ध हो।

2) अगर किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर ऋण या अग्रिम इस प्रकृति का है कि जिस दिन ऋण या अग्रिम प्रदान किया गया था उस तिथि को उपधारा (i) के खंड (बी) के लागू होने की स्थिति में उसे मंजूर करने का वचन नहीं दिया जा सकता था (अथवा वह किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 58) की धारा 5 के आरंभ होने के उपरांत किंतु ऐसे प्रारंभ के पूर्व हुई वचनबद्धता के अनुसरण में मंजूर किया गया हो) तो बैंकिंग कंपनी को मूल रकम पर देय ब्याज, यदि कोई हो, सहित ऋण या अग्रिम देते समय निर्धारित अवधि के भीतर या जहाँ ऐसी कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई हो, वहाँ उक्त धारा 5 के प्रारंभ से एक वर्ष पूरा होने के पूर्व, वसूली हेतु उपाय किए जाने चाहिए।

 शर्त है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग कंपनी द्वारा इस संदर्भ में उसके पास किए गए लिखित आवेदन पर किसी मामले में ऋण या अग्रिम की वसूली अवधि को ऐसी तिथि तक बढा सकता है जो उपर्युक्त धारा 5 के प्रारंभ होने से तीन वर्ष से अधिक की अवधि की तिथि न हो। यह विस्तार ऐसी शर्तों एवं निबंधों के अधीन होगा जिन्हें रिजर्व बैंक उचित समझे।

 यह भी शर्त है कि यह उपधारा संबंधित निदेशक की मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्याग पत्र या अन्य किसी कारण से बैंकिंग कंपनी के निदेशक का पद रिक्त करने पर लागू नहीं होगी।

ELECTION OF DIRECTORS – EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME, AND REGULATIONS ETC.

In terms of Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, shareholder Directors shall have to be appointed depending upon the extent of capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3. The relevant Sections of The Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 and the relevant regulations of Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (hereinafter referred to as the "Regulations"), respectively in this regard, are reproduced below for the information of the shareholders.

THE BANKING REGULATION ACT, 1949

Prohibition of common Directors – Section 16 (1)

No Banking company incorporated in India shall have as a Director in its Board of Directors any person who is a Director of any other Banking Company.

Restrictions on Loans and Advances – Section 20

1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no Banking company shall, -
 - (a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or
 - (b) enter into any commitment for granting any loan or advance or advance to or on behalf of –
 - (i) any of its Directors,
 - (ii) any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or
 - (iii) any Company not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which (or the subsidiary or the holding Company of which) any of the Directors of the Banking Company is a Director, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
 - (iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor.

2) Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of Sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made, (or is granted by Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement), steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance, or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5;

 Provided that the Reserve Bank of India may, in any case on an application made in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank of India may deem fit:

 Provided further that this sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

3) उपधारा (2) या उसके किसी भी भाग में उल्लिखित कोई भी ऋण या अग्रिम रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना भेजा नहीं जाएगा तथा ऐसे अनुमोदन के बिना किया गया कोई भी प्रेषण अमान्य एवं अप्रभावी होगा।

4) जहां उपधारा (2) में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम किसी भी व्यक्ति द्वारा देय हो तो उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अबिंकिंग कंपनी को चुकौती न किए जाने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति को, उक्त अवधि की समाप्ति की तिथि को बैंकिंग कंपनी के निदेशक होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि जैसे उसने उक्त तिथि को अपना पद रिक्त कर दिया हो।

इस धारा में व्याख्या :

(क) ऋण या अग्रिम में कोई भी ऐसा लेनदेन शामिल नहीं होगा जिसे भारतीय रिजर्व बैंक लेनदेन के स्वरुप, लेनदेन के कारण देय होने वाली किसी भी रकम वसूली के संभाव्य समय एवं उसकी विधि तथा परिस्थितियां, जमाकर्ताओं के हितों और अन्य प्रासंगिक प्रतिफलों पर विचार करते हुए इस धारा के प्रयोजन हेतु ऋण या अग्रिम न होने का सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उल्लेख कर सके।

(ख) निदेशक से तात्पर्य है, प्रबंध करने के उद्देश्य से अथवा प्रबंधन हेतु सभी या उसके किसी कार्य के संबंध में सलाह देने के उद्देश्य से भारत में बैंकिंग कंपनी द्वारा गठित किसी मंडल या समिति का सदस्य।

5) अगर ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि कोई लेनदेन ऋण है या अग्रिम है, तो मामला रिजर्व बैंक को प्रेषित किया जाएगा और इस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980

मताधिकार पर प्रतिबंध

3(2ई) : केन्द्रीय सरकार को छोडकरसमनुरुपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने द्वारा धारित किसी शेयर के संबंध में उक्त समनुरुपी नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के एक प्रतिशत से अधिक हो तो वह मताधिकार का प्रयोग करने का पात्र नहीं होगा।

निदेशक मंडल का गठन

9 (3)(i) जहां धारा 3 की उपधारा (2बी) के खंड (सी) के अंतर्गत जारी पूँजी निम्नानुसार हो तो:

i) कुल प्रदत्त पूँजी के सोलह प्रतिशत से अधिक न हो तो एक निदेशक ।

ii) कुल प्रदत्त पूँजी के सोलह प्रतिशत से अधिक परंतु बत्तीस प्रतिशत से अधिक न हो तो दो निदेशक।

iii) कुल प्रदत्त पूँजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक हो तो तीन निदेशक, केन्द्र सरकार को छोडकर, अन्य शेयरधारकों द्वारा अपने ही में से चयनित होंगें।

बशर्ते कि इस खंड के अंतर्गत ऐसे निदेशकों के चुनाव के बाद कार्यभार ग्रहण करने पर, खंड (एच) के अंतर्गत समनुरूपी संख्या में नामित निदेशक, योजना में निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार सेवानिवृत्त होंगे।

बशर्ते कि यदि बैंकिंग कंपनी (अर्जन एवं उपक्रम) एवं वित्तीय संस्था कानून (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ होने के पूर्व या को, समनुरूपी नए बैंक में चयनित निदेशकों की संख्या उप खंड (i)या उप खंड (ii)या उपखंड (iii) जैसा भी मामला हो, में निर्दिष्ट निदेशकों की संख्या अधिक हो तो ऐसे प्रारंभ से पूर्व चयनित ऐसे अधिक संख्यक निदेशक योजना में निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार सेवानिवृत्त होंगे एवं ऐसे निदेशक कार्यालय अवधि के समयपूर्व सेवा निवृत्ति के लिए कोई क्षतिपूर्ति दावा करने के पात्र नहीं है।

9 (3 ए): उक्त खंड (i) के अंतर्गत चयनित किए जाने वाले निदेशक:

क) निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होंगे।

i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थ व्यवस्था

3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank of India, and any remission without such approval shall be void and of no effect.

4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then such person shall, if he is a Director of such Banking Company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation in this Section –

(a) "Loan or advance" shall not include any transaction which the Reserve Bank of India may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realised, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section;

(b) "Director" includes a member of any Board or Committee in India constituted by a Banking Company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.

5) If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank of India, whose decision thereon shall be final.

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980

Restrictions on voting rights

3(2E) No shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of one percent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new Bank.

Composition of the Board of Directors

9 (3) (i) Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is: -

(I) Not more than sixteen per cent of the total paid-up capital, one Director.

(II) More than sixteen per cent but not more than thirty-two percent of the total paid-up capital, two Directors.

(III) More than thirty-two percent of the total paid-up capital, three Directors.

to be elected by the shareholders other than the Central Government, from amongst themselves:

Provided that on the assumption of charge after election of any such Directors under this clause , equal number of Directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the Scheme.

Provided that in case the number of the Directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006, in corresponding new bank exceed the number of Directors specified in sub clause (I) or sub clause (II) or sub clause (III), as the case may be, such excess number of Directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for premature retirement of the term of office.

9(3A) The Directors to be nominated under clause (h) or elected under the said clause (i) shall-

(A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following namely:-

i. agriculture and rural economy

ii) बैंकिंग
iii) सहकारिता
iv) अर्थशास्त्र
v) वित्त
vi) विधि
vii) लघु उद्योग
viii) ऐसा अन्य कोई विषय जिसका विशेष ज्ञान या जिसमें प्राप्त व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिजर्व बैंक की राय में समनुरूपी नए बैंक के लिए उपयोगी होगा।

ख) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करेंगें।

ग) किसानों, कामगारों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करेंगें।

9(3 एए) उपधारा 3(ए) के उपबंध के पूर्वाग्रह के बिना एवं अधिनियम एवं/या वर्तमान प्रचलित अन्य कानून में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी कोई व्यक्ति उपधारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निदेशक के रुप में चयनित होने के लिए पात्र नहीं है यदि वह ट्रैक रिकार्ड, निष्ठा एवं इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर सूचित ऐसे अन्य मानदंडों के अनुसार "सही एवं उचित" हैसियत का न हो।

9(3 एबी) निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी, ऐसे निर्धारण एवं ऐसे अन्य मामले जो आवश्यक या प्रासंगिक समझा जाए, के लिए भारतीय रिजर्व बैंक उपधारा 3(एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में भी निर्दिष्ट कर सकता है।

9 (3 बी) जहाँ भारतीय रिजर्व बैंक की राय में समनुरूपी नए बैंक की उपधारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत चयनित कोई निदेशक उपधारा (3 ए) और उप धारा 3(एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता हो तो वह, ऐसे निदेशक तथा बैंक को सुनवाई के लिए उचित अवसर देने के बाद आदेश द्वारा ऐसे निदेशक को हटा सकता है और इस प्रकार हटाए जाने पर निदेशक मंडल उपधारा 3(ए) की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उक्त समनुरूपी बैंक के शेयरधारकों की अगली वार्षिक सामान्य बैठक में किसी निदेशक के चयन तक ऐसे हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर निदेशक के रुप में सहयोजित करेगा और यह मान लिया जाएगा कि ऐसा सहयोजित व्यक्ति उक्त समनुरुपी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रुप में विधिवत चयनित है।

निष्ठा एवं गोपनीयता का दायित्व:

13(2) प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड या किसी समिति के सदस्य या समनुरुपी नए बैंक के लेखा परीक्षक, सलाहकार, अधिकारी या अन्य कर्मचारी अपना पदभार ग्रहण करने से पहले तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट फार्म में निष्ठा एवं गोपनीयता की घोषणा करेगा।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980

9 चयनित निदेशक का कार्यकाल

9(4) चयनित निदेशक का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि ऐसा कोई भी निदेशक लगातार छ:
वर्ष से अधिक अवधि के लिए पदधारण नहीं करेगा। निदेशकत्व हेतु अयोग्यता

10 निदेशक के रूप में चयन हेतु अनर्हता

किसी व्यक्ति को निदेशक के रुप में नियुक्त किए जाने तथा निदेशक बनने में अयोग्य ठहराया जाएगा:

क) यदि उसे कभी भी दिवालिया घोषित किया गया हो अथवा उसने भुगतान आस्थगित किया हो अथवा अपने ऋणदाता से समझौता किया हो, अथवा

ख) यदि उसे असंतुलित दिमाग के व्यक्ति के रुप में पाया गया हो और सक्षम न्यायालय ने उसे असंतुलित दिमाग के व्यक्ति के रुप में घोषित किया हो, अथवा

ग) यदि उसे फौजदारी न्यायालय ने आपराधिक सजा सुनाई हो अथवा उसने ऐसा अपराध किया हो जिसमें नैतिक भ्रष्टाचार सम्मिलित हो, अथवा

ii. banking
iii. co-operation
iv. economics
v. finance
vi. law
vii. small scale industry
viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank of India is useful to the corresponding new Bank.

(B) represents the interest of depositors; or

(C) represent the interest of farmers, workers and artisans.

9(3AA) Without prejudice to the provision of sub-section 3(A) and notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or in other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as a Director under Clause (i) of Sub-Section (3) unless he is a person having 'fit and proper status' based upon the track record, integrity and such other criteria as Reserve Bank of India may inform from time to time in this regard.

9(3AB) The Reserve Bank of India may also specify in the notification issued under sub section 3(AA), the authority to determine, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

9(3B) Where the Reserve Bank of India is of the opinion that any Director of a corresponding new Bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) and 3(AA), it may, after giving to such Director and the Bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirements of sub-section (3A) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank in the next Annual general meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy:

13(2) Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Advisor, Officer or other Employee of a corresponding new Bank shall, before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980

9 Term office of elected Director

9(4) An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election:

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

10 Disqualification of Directors

A person shall be disqualified for being appointed as, and for being a Director:

(a) if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

(b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(c) if he has been convicted by criminal court or an offence which involves moral turpitude; or

घ) यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा स्टेट बैक (सहायिकी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी सहायिकी बैंक में लाभ का पदधारण करता है किंतु अपवाद स्वरुप वह अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के (इ) व (एफ) खंडों के अंतर्गत बैंक के नामित, बैंक के कर्मचारियों में से, प्रबंध निदेशकों को सम्मिलित करते हुए पूर्णकालिक निदेशक का पद धारण कर सकता है।

11. निदेशक के पद का रिक्त होना

1. यदि कोई निदेशक खंड 10 में विनिर्दिष्ट किन्हीं अनहर्ताओं के अधीन आ जाता हो या बोर्ड से अनुमति लिए बिना लगातार तीन से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहता हो तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है और तदुपरांत वह पद रिक्त हो जाएगा।
2. अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) या खंड (सी) या खंड (डी) में संदर्भित प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक सहित अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक निदेशक केंद्रीय सरकार को लिखित रुप में सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्यागपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत होने पर यह माना जाएगा कि यह पद रिक्त हो गया है और अन्य निदेशक केन्द्रीय सरकार को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और यह त्यागपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा इसकी सूचना प्राप्ति से प्रभावी होगा।
3. उपरोक्त उपखंडों के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना अधिनियम की धारा 9 के उपखंड 3 की उपधारा (3) के खंड (ई) और खंड (एफ) में संदर्भित निदेशक का पद, उक्त निदेशक के, उस राष्ट्रीयकृत बैंक, जिसका वह निदेशक है, के कर्मचारी के अलावा कर्मचारी के रुप में सेवानिवृत्त होते ही रिक्त हो जाएगा।
4. जहां चयनित निदेशक के अलावा निदेशक पद में कोई रिक्ती जो जाती है वहां वह रिक्ती अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसार भरी जाएगी।

चयनित निदेशक को पद से हटाना

11 ए : केन्द्रीय सरकार को छोड़कर अन्य शेयरधारकों जो सभी शेयरधारकों, द्वारा धारित कुल शेयर पूंजी का कम से कम आधा भाग धारित करते हैं, के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा धारा 9 की एप धारा (3) के तहत चयनित किसी निदेशक को हटा सकते हैं और उसके स्थान पर रिक्ति को भरने हेतु दूसरे व्यक्ति को चयनित कर सकते हैं ।

11 बी : चयनित निदेशक के पद की रिक्ति भरना: खंड

1. जहां किसी चयनित निदेशक के कार्यकाल की अवधि की समाप्ति से पहले कोई रिक्ति होती है तो रिक्ति चुनाव द्वारा भरी जाएगी, बशर्ते कि जहां रिक्ति की अवधि 6 महीनों से कम होने की संभावना है वहां शेष निदेशकों द्वारा उक्त रिक्ति भरी जा सकती है ।
2. उप खंड (1) के अन्तर्गत यथास्थिति चयनित या सहयोजित व्यक्ति अपने पूर्वाधिकारी के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए पद ग्रहण करेगा ।

निदेशकों द्वारा हितों की घोषणा:

12 (8) राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या उसकी ओर से की गई या प्रस्तावित किसी संविदा, ऋण व्यवस्था या प्रस्ताव से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध या हित रखने वाला कोई निदेशक सम्बन्धित परिस्थितियों का ज्ञान होने के बाद यथाशीघ्र मंडल को अपने हित का स्वरूप घोषित करेगा और जब तक कोई सूचना प्राप्त करने

(d) if he holds any office of profit under any nationalised bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section of the Act from among the employees of the Bank.

11. Vacation of office of Directors

1. If a Director becomes subject to any of disqualification specified in clause 10, or is absent without leave of the board for more than three consecutive meetings thereof, he shall deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
2. The Chairman or a Whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub-section 3 of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.
3. Without prejudice to the provisions of the foregoing sub-clause, the office of the Director referred to in Clause (e) or Clause (f) of sub-section (iii) of Sub-clause 3 of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee, other than a workman of the Nationalised Bank of which he is a Director.
4. Where any vacancy occurs in the office of a Director other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Removal from office of an elected Director

11A: The shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by a majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate, not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of the sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

11B: Filling of vacancy in the office of elected Director

(1) Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled by election.

Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled in by the remaining Directors.

(2) A person elected or co-opted, as the case may be, under sub clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of interest by Directors

12(8) A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the nationalised Bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract,

के लिए अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति की अपेक्षा रहने पर ऐसा संविदा ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा ।

बशर्ते कि उप खंड में दी गई कोई भी नहीं की जाएगी तब तक वह ऐसी संविदा, ऋण व्यवस्था या प्रस्ताव पर चर्चा करते समय मंडल की बैठक में उपस्थित नहीं होगा और इस तरह ऐसा कोई निदेशक उपस्थित बात ऐसे निदेशकों पर मात्र इसलिए लागू नहीं होगी कि वह :

i) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथापरिभाषित किसी सार्वजनिक कंपनी या भारत में तत्समय लागू किसी विधि द्वारा या उसके अन्तर्गत स्थापित किसी निगम या किसी सहकारी कंपनी में जिसके साथ या जिसमें उक्त राष्ट्रीयकृत बैंक ने कोई संविदा, ऋण व्यवस्था या प्रस्ताव किया हो या करने का प्रस्ताव रखता हो, प्रदत्त पूंजी का दो प्रतिशत तक धारित करने वाला शेयरधारक (निदेशक के अलावा) है या

ii) राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी या अन्य कर्मचारी यदि (अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (ग) या (च) के अधीन) निदेशक है ।

आन्ध्रा बैंक (शेयर तथा बैठक) विनियम, 2003

विनियम 10 : संयुक्त धारकों के अधिकारों का निष्पादन

यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम में हों, रजिस्टर में प्रथम व्यक्ति, शेयरों के अंतरण के अलावा, बैंक से जुड़े किन्हीं भी अन्य अथवा सभी विषयों, वोट करने, लाभांश की प्राप्ति तथा सूचना देने हेतु एकमात्र धारक माना जाएगा ।

विनियम 61 : आम बैठकों में वोटिंग

(i) किसी भी आम बैठक में, वोटिंग हेतु संकल्प, जबतक कि चुनाव की मांग न हो, का निर्णय हाथ दिखाकर होगा ।

(ii) अधिनियम में दिए गए अनुसार, आम बैठक में प्रस्तुत प्रत्येक मामले का निर्णय वोटों के बहुमत द्वारा होगा ।

(iii) जबतक कि उप विनियम (1) के अंतर्गत चुनाव की मांग न हो, बैठक के अध्यक्ष द्वारा एक घोषणा कि हाथ दिखाकर स्वीकृति का संकल्प एकमत से अथवा किसी विशेष बहुतम द्वारा हुआ अथवा नहीं हुआ तथा कार्रवाई के कार्यवृत्त वाली पुस्तक में इस बात की प्रविष्टि, ऐसे संकल्प के पिरूद्ध अथवा हित में वोटों के अनुपात अथवा संख्या के प्रमाण के बिना, तथ्य के प्रमाण हेतु निर्णायक होगा ।

(iv) हाथ दिखाकर किसी संकल्प पर वोटिंग के परिणाम की घोषणा से पूर्व अथवा घोषणा पर, बैठक के अध्यक्ष द्वारा चुनाव का आदेश दिया जा सकता है तथा ऐसा उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित शेयरधारकों अथवा प्रोक्सी द्वारा, अथवा किसी शेयरधारक द्वारा जिसके बैंक में शेयर हों, की मांग पर किया जाएगा, जिसके द्वारा संकल्प के सम्बन्ध में कुल वोटिंग अधिकार के पांचवें हिस्से से कम होने पर, संकल्प पर वोट देने का अधिकार है ।

(v) चुनाव की मांग करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा उस मांग को किसी भी समय वापिस लिया जा सकता है ।

(vi) बैठक के अध्यक्ष के चुनाव अथवा स्थगन के प्रश्न पर मांगे गए चुनाव को स्वीकार किया जाएगा ।

(vii) किसी अन्य प्रश्न पर मांगे गए चुनाव पर निर्णय, जैसा कि बैठक के अध्यक्ष निदेश दें, की गई मांग के 48 घंटों के अंदर किया जाएगा ।

(viii) किसी व्यक्ति के वोट देने की योग्यता के बारे में बैठक के अध्यक्ष का निर्णय तथा चुनाव के मामले में भी, किसी व्यक्ति के वोटों की संख्या की सक्षमता के बारे में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा ।

loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal:

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being:

(i) a shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid-up capital in any public Company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any co-operative society, with which or to which the nationalised Bank has entered into or made, or proposes to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal; or

(ii) an officer or other employee of the nationalised Bank, if he is a Director (referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act).

ANDHRA BANK (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 2003

REGULATION 10: EXERCISE OF RIGHTS OF JOINT HOLDERS

If any share stands in the names of two or more persons, the first named in the register shall as regards voting, receipt of dividend, service of notices and all or any other matters connected with the Bank except the transfer of shares be deemed to be the sole holder thereof.

Regulation 61: Voting at General Meetings

(i) At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded, be decided on a show of hands.

(ii) Save as otherwise provided in the Act, every matter submitted to a general meeting shall be decided by a majority of votes.

(iii) Unless a poll is demanded under sub-regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of, or against, such resolution.

(iv) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the Chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made on that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in the Bank which confer power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.

(v) The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.

(vi) A poll demanded on a question of adjournment or election of chairman of the meeting shall be taken forthwith.

(vii) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty eight hours from the time when the demand was made, as the chairman of the meeting may direct.

(viii) The decision of the chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in the case of poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

विनियम 63 : आम बैठकों में निदेशकों का चुनाव किया जाना

1) अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (1) के अधीन आन्ध्रा बैंक की सामान्य बैठक में केंद्रीय सरकार को छोड़कर रजिस्टर में दर्ज शेयरधारकों द्वारा अपने में से ही किसी को निदेशक चुन लिया जाएगा ।

2) जहां किसी सामान्य बैठक में निदेशक का चुनाव होने वाला हो, इसकी सूचना बैठक के आयोजन सम्बन्धी नोटिस में ही जोड़ दी जाएगी, इस प्रकार के हर नोटिस में चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या और रिक्तियों के विवरण, जिसके लिए चुनाव होने वाला हो, भी दिए जायेंगे । शेयरधारकों की सूची

विनियम 64: शेयरधारकों की सूची

i) इन विनियमों के विनियम 63 के उप विनियम (1) के अधीन निदेशक के चुनाव हेतु रजिस्टर से उन शेयरधारकों की एक सूची तैयार की जाएगी जिसके द्वारा निदेशक का चुनाव किया जाएगा ।

ii) इस सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या और विनिर्दिष्ट संख्या, शेयरों के पंजीकृत करने की तिथि और उस बैठक के लिए निर्धारित तारीख जिसमें यह चुनाव होगा, उस बैठक में जितने मतों के लिए वे हकदार होंगे उन मतों की संख्या आदि शामिल होंगे और सूची की प्रतियां खरीदे जाने हेतु, बैठक के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पहले से निदेशक मंडल या प्रबन्धन समिति द्वारा निर्धारित मूल्य पर, प्रधान कार्यालय को आवेदन करने पर, उपलब्ध कराई जाएगी ।

विनियम 65 : चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

(i) निदेशक के रूप में चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार का नामांकन तभी वैध होगा जब

क) वह आन्ध्रा बैंक में 100 (एक सौ) शेयर रखने वाला शेयरधारक हो ।

ख) उसे नामांकन प्राप्त करने की अंतिम् जारीख को इस अधिनियम के अधीन या इस योजना के अधीन निदेशक बनने के लिए अयोग्य न ठहराया गया हो,

ग) उसने अपने द्वारा, चाहे अकेले या अन्यों के साथ संयुक्त रूप से धारित बैंक के शेयरों के सम्बन्ध में मांग राशि अदा करने के लिए निश्चित अंतिम तारीख को या उससे पूर्व मांग राशि अदा कर दी गई हो ।

घ) नामांकन इस अधिनियम के अधीन निदेशकों को चुनने का हक रखने वाले कम से कम एक सौ शेयरधारकों या उनके द्वारा विधिवत् नियत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में हो, परन्तु यह कोई शेयरधारक, जो एक कंपनी हो, कथित कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया जा सकेगा और जहां ऐसा किया जाता है वहां जिस बैठक में उक्त संकल्प पारित किया जाता है, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रति को सही प्रति के रूप में सत्यापित कर बैंक के प्रधान कार्यालय को प्रेषित किया जाए और उक्त प्रति को सम्बन्धित कंपनी की ओर से नामांकन के रूप में माना जाएगा ।

ड) नामांकन में या उसके साथ उम्मीदवार द्वारा किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, आश्वासनों के पंजीयक या उप पंजीयक या किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित इस आशय का एक घोषणा पत्र हो कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव हेतु खड़े होने का ईच्छुक है और यह कि उसे इस अधिनियम के तहत या इस योजना या इन विनियमों के तहत निदेशक बनने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है ।

ii) कोई नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह हर तरह से पूर्ण सभी सम्बन्धित दस्तावेज सहित आन्ध्रा बैंक, प्रधान कार्यालय में बैठक के लिए निश्चित तिथि से पूर्व 14 दिन के अंदर किसी कार्य दिवस को प्राप्त नहीं होता ।

विनियम 66 : नामांकनों की जांच

i) नामांकनों की प्राप्ति की निश्चित तिथि के बाद प्रथम कार्य दिवस को उनकी छानबीन की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता तो उसका कारण दर्ज करने के बाद उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा । यदि चुनाव द्वारा भरे जाने के लिए किसी एक खास रिक्त स्थान के लिए एक ही वैध नामांकन हो, तो इस तरह से नामांकित उम्मीदवार को तुरन्त चुन

Regulation 63: Directors to be elected at general meetings

(1) A Director under clause (i) of sub-section 3 of Section 9 shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government from amongst themselves in the general meeting of the Bank.

(2) Where an election of Director to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

Regulation 64: List of shareholders

(i) For the purpose of election of a Director under sub-regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the Director is to be elected.

(ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares are registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase atleast three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee on application at the Head Office.

Regulation 65: Nomination of candidates for election

(i) No nominations of a candidate for election as a Director shall be valid unless,

(a) he is a shareholder holding not less than 100 shares in the Bank;

(b) he is as on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme;

(c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;

(d) the nomination is in writing signed by atleast one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the Head Office of the Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company;

(e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any other nationalised Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a Director.

(ii) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head Office of the Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

Regulation 66: Scrutiny of nominations

(i) Nominations shall be scrutinised on the first working day following the date fixed for the receipt of nominations and in case any information is not found to be valid, the same

लिया गया मान लिया जाएगा और उसका नाम व पता उसके इस तरह चुन लिए जाने के रूप में प्रकाशित कर दिय जायेंगे । ऐसी हालत में इस प्रयोजन हेतु बुलाई गई बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा और यदि बैठक उपर्युक्त चुनाव के प्रयोजन से बुलाई गई हो तो वह रद्द हो जाएगी ।

ii) चुनाव होने की हालत में यदि वैध नामांकन चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक हों तो जिस उम्मीदवार को अधिकतम मत मिलेंगे उसे चयनित माना जाएगा ।

iii) वर्तमान रिक्त स्थान भरने के लिए चयनित निदेशक के लिए यह मान लिया जाएगा कि उसने चयनित होने के दिन से अपना पद-भार ग्रहण कर लिया है ।

विनियम 67 : चुनाव सम्बन्धी विवाद

i) चयनित माने गए या घोषित व्यक्ति की योग्यता या अयोग्यता अथवा किसी निदेशक के चुनाव की वैधता के सम्बन्ध में यदि कोई संदेह या विवाद उठता हो, तो कोई ईच्छुक व्यक्ति, जो ऐसे चुनाव में उम्मीदवार या मतदान का हक रखने वाला शेयरधारक हो, ऐसे चुनाव के परिणाम की घोषणा की तिथि से 7 दिन के अंदर उसके सम्बन्ध में लिखित रूप में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को सूचना भेज सकता है और ऐसी सूचना में उन आधारों का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करेगा, जिनकी वजह से उस चुनाव की वैधता पर संदेह किया हो या विवाद उठाया गया हो ।

ii) उप विनियम (1) के तहत सूचना प्राप्त होने पर आन्ध्रा बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक ऐसे संदेह या विवाद को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (बी) और (सी) के तहत नामित किन्हीं दो निदेशकों से बनी समिति को संदर्भित करेंगे ।

iii) उप विनियम (2) में संदर्भित समिति आवश्यकतानुसार जांच-पड़ताल करेगी और यदि वह पाती है कि चुनाव वैध था तो वह चुनाव के घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी या यदि वह पाती है कि चुनाव वैध नहीं था तो वह जांच-पड़ताल प्रारम्भ करने की तिथि से 30 दिन के अंदर पिफर से चुनाव कराने सहित ऐसा आदेश देगी और निर्देश देगी जो ऐसी समिति को उस परिस्थिति में न्याय-संगत प्रतीत होगा ।

iv) इस विनियम के अनुसरण में ऐसी समिति के आदेश और निर्देश अंतिम होंगे ।

विनियम 68 : मतदान अधिकारों का निर्णय

i) अधिनियम की धारा 3 (2 ई) में निहित उपबन्धों के अधीन प्रत्येक शेयरधारक, जिसका सामान्य बैठक की तिथि से पूर्व रजिस्टर बन्द होने की तिथि तक शेयरधारक के रूप में पंजीकरण हुआ हो, ऐसी बैठक में हाथ दिखाकर एक मत और मतदान होने के मामले में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत दे सकेगा ।

ii) अधिनियम की धारा 3 (2 ई) में निहित उपबन्धों के अधीन प्रत्येक शेयरधारक, जोकि एक कंपनी नहीं है, मतदान पूर्वोक्त रूप में करने का हक रखने वाला प्रत्येक शेयरधारक व्यक्तिगत रूप से या प्राक्सी द्वारा उपस्थित हो या जो एक कंपनी हो तो विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या प्रौसी के माध्यम से उपस्थित हो तो प्रत्येक शेयरधारक हाथ दिखाकर एक मत देने और मतदान होने के मामले में ऊपर उप विनियम (1) में बताए अनुसार उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर हेतु एक मत दे सकेगा । व्याख्या : इस अध्याय के लिए कंपनी से आशय कोई निगत निकाय है ।

iii) सामान्य बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने का हक रखने वाला शेयरधारक उनके बदले में बैठक में भाग लेने और मतदान करने हेतु अपनी प्राक्सी के रूप में किसी और व्यक्ति को (चाहे शेयरधारक हो या न हो) नियुक्त करने का हक रखते हैं परन्तु इस तरह नियुक्त प्रोक्सी को बैठक में बोलने का हक नहीं होगा ।

shall be rejected after recording the reason therefor. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election it shall stand cancelled.

(ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of Directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.

(iii) A Director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is, or is deemed to be elected.

Regulation 67: Election disputes

(i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification or a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of the Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he/she doubts or disputes the validity of the election.

(ii) On receipt of an intimation under sub-regulation (i) the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

(iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within thirty days of the commencement of the enquiry make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.

(iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

Regulation 68: Determination of voting rights

(i) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of the closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

(ii) Subject to the provisions in Section 3(2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who not being a Company is present in person or by proxy or who being a Company is present by a duly authorised representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i)

Explanation- for this chapter, "Company" means any body corporate.

(iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

विनियम 69 : विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान

i) ऐसा शेयरधारक जो केन्द्र सरकार या एक कंपनी हो, यथास्थिति संकल्प द्वारा किसी सामान्य बैठक में प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अपने किसी पदाधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है और इस तरह प्राधिकृत व्यक्ति को (इन विनियमों में विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में संदर्भित) केन्द्र सरकार या कंपनी, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता हो, की तरफ से उन सभी शक्तियों का प्रयोग करने का हक होगा जैसे कि वह बैंक का व्यक्तिगत शेयरधारक हो, इस तरह दिया गया । प्राधिकार वैकल्पिक रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है और ऐसे मामले में ऐसे व्यक्ति केंद्रीय सरकार/कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकते हैं ।

ii) कोई भी व्यक्ति तब तक कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में आन्ध्रा बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में भाग नहीं ले सकेगा और मतदान नहीं कर सकेगा जब तक उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए जिस बैठक में संकल्प पारित किया गया हो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रति को सही प्रति के रूप में सत्यापित कर उसे आन्ध्रा बैंक के प्रधान कार्यालय को बैठक के लिए निश्चित तिथि से 4 दिन पूर्व प्रेषित नहीं कर दिया जाता।

विनियम 70 : प्राक्सी

i) प्राक्सी की कोई भी लिखित तब तक वैध नहीं होगी जब तक वह व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में उनके या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो या संयुक्त धारकों के मामले में वह रजिस्टर में दर्ज शेयरधारक द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो या निगम निकाय के मामले में उसे अधिकारी या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो ।

परन्तु यह कि किसी प्राक्सी की लिखत पर किसी ऐसे शेयरधारक के पर्याप्त रूप में हस्ताक्षर होंगे, जो किसी कारणवश अपना नाम नहीं लिख सकता हो । यदि उसपर उसका निशान लगा दिया जाए और वह निशान किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, आश्वासनों के पंजीयक या उप पंजीयक या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या आन्ध्रा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाए ।

ii) कोई भी प्राक्सी तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह विधिवत् मुद्रांकित न हो और उसकी प्रति बैठक के लिए निश्चित तिथि से कम से कम 4 दिन पूर्व आन्ध्रा बैंक के प्रधान कार्यालय में मुख्तारनामा या अन्य किसी प्राधिकार पत्र के साथ (यदि कोई हो) जिसके तहत वह हस्ताक्षरित है या उस मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार की प्रति जो नोटरी पब्लिक या दंडाधिकारी द्वारा सही प्रति के रूप में सत्यापित हो, जमा न करा दी गई हो, बशर्ते कि ऐसा मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार पत्र आन्ध्रा बैंक में पहले ही जमा एवं पंजीकृत न कराया जा चुका हो ।

iii) प्राक्सी सम्बन्धी कोई लिखत तब तक वैध नहीं होती जब तक कि वह फार्म बी में न हो।

iv) आन्ध्रा बैंक में जमा कराई गई प्राक्सी की लिखत **अप्रतिसंहरणीय एवं अंतिम होगी ।**

v) वैकल्पिक रूप में अनुमोदित व्यक्तियों के पक्ष में मंजूर प्राक्सी लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किए जायेंगे ।

vi) इस विनियम के अंतर्गत प्राक्सी के लिखत को बैठक में व्यक्तिगत रूप से वोट देने का अधिकार नहीं होगा, जिससे ऐसा लिखित सम्बन्धित हो ।

vii) जो व्यक्ति आन्ध्रा बैंक का अधिकारी या कर्मचारी है, उस व्यक्ति को विधिवत् प्राक्सी या प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

Regulation 69: Voting by duly authorised representative

(i) A shareholder, being the Central Government or a Company, may by a resolution, as the case may be, authorise any of its officers or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorised (referred to as a "duly authorised representative" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or the Company which he represents, as if he was an individual shareholder of the Bank. The authorisation so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorised representative of the Central Government/Company.

(ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorised representative of the Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorised representative certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

Regulation 70: Proxies

(i) No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing or in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing, or in the case of a body corporate, signed by the duly authorised representative or an attorney duly authorised in writing.

Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Andhra Bank.

(ii) No Proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof is deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority, if any under which it is signed. or a copy of that power of attorney or other authority certified as true copy by a Notary Public, or a Magistrate unless such a power of Attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.

(iii) No Instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B".

(iv) An instrument of proxy deposited with the Bank **shall be irrevocable and final**.

(v) In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

(vi) The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

(vii) No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Andhra Bank.

बुक पोस्ट
BOOK POST

यदि सुपुर्द न किया गया हो तो निम्न को वापस करें:

मेसर्स एमसीएस लिमिटेड,
यूनिट : आन्ध्रा बैंक
काशीराम जमनादास बिल्डिंग, ऑफिस संख्या 21/22
भूतल 5, पी डीमेलो रोड,
घडियाल गोदी, मुम्बई – 400009
Ph. No. : 022-23726253/54/55
E-mail ID : mcspanvel@yahoo.co.in

If Undelivered, Please return to:

M/s. MCS Limited,
Unit : Andhra Bank
Kashiram Jamnadas Bldg, Office No. 21/22,
Ground Floor 5, P.D'Mello Road,
Ghadiyal Godi, Mumbai - 400 009.
Ph. No. : 022-23726253/54/55
E-mail ID : mcspanvel@yahoo.co.in

आन्ध्रा बैंक
Andhra Bank

प्रधान कार्यालय : डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004.
Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.